हिन्दी मासिक
सच्चा राही
सामाजिक एवं साहित्यिक लखनऊ

जून, 2017 वर्ष 16 अंक 04

सम्पादक
डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी
सहायक
मु0 गुफ़रान नदवी

कार्यालय
मासिक सच्चा राही
पोस्ट बॉक्स नं0 93
नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग,
लखनऊ – 226007
फोन : 0522–2740406
फैक्स : 0522–2741221
E-mail : nadwa@sancharnet.in
nadwa@bsnl.in

सहयोग राशि

एक प्रति	₹ 18/-
वार्षिक	₹ 200/-
विदेशों में (वार्षिक) 30 युएस डॉलर	

चेक/ड्राफ्ट पर यह लिखें
"सच्चा राही"
पता
पोस्ट बॉक्स नं0 93
नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग
लखनऊ–226007

मुद्रक एवं प्रकाशक अतहर हुसैन द्वारा काकोरी आफसेट प्रेस से मुद्रित एवं दफ्तर मजलिसे सहाफ़त व नशरियात नदवतुल उलमा, लखनऊ से प्रकाशित।

मुबारक महीना

ये रमज़ान का है मुबारक महीना
ये रमज़ान का है मुबारक महीना
हो रोज़ा नमाज़ और तिलावत भी इसमें
ये है नेकियों का मुबारक महीना
तरावीह न छूटे किसी रात इस में
ये कुर्आन का है मुबारक महीना
करो साल में कब हिसाबे ज़कात
है बेहतर यही हो मुबारक महीना
करो खर्च राहे खुदा में तुम इसमें
यह खैरात का है मुबारक महीना
मदद तुम गरीबों की करना न भूलो
गरीबों का भी है मुबारक महीना
सलाम और रहमत पढ़ो तुम नबी पर
तक़ाज़ा है करता मुबारक महीना

आपके पते के साथ जो खरीदारी नम्बर है अगर उसके नीचे लाल या काली लाइन है तो समझें कि आपका सालाना चन्दा खत्म हो चुका है। अतः आप जल्द ही अपना चन्दा भेजने का कष्ट करें। और मनीआर्डर कूपन पर अपना खरीदारी नम्बर अवश्य लिखें। अगर आपका फोन या मोबाइल हो तो उसका नम्बर भी लिखें।

Desining & Editing by : Qamaruzzama- +91 94522 95052

विषय एक दृष्टि में

क़ुर्आन की शिक्षा	मौ0 बिलाल अब्दुल हयी हसनी नदवी	03
प्यारे नबी की प्यारी बातें	अमतुल्लाह तस्नीम	05
संयम प्रशिक्षण का मास	डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी	06
सदक़ात और ज़कात के बारे में	ह0 मौ0सै0 अबुल हसन अली हसनी नदवी रह0	08
दीनी तथा आधुनिक शिक्षा	मौलाना अब्दुल क़ादिर पट्टनी नदवी	12
तरावीह की नमाज़ और	इदारा	17
नवीन संकल्प, साहस, उल्लास	मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद तक़ी उस्मानी	21
सच्चा जीवन समाज पर	मौ0 सय्यिद मुहम्मद हम्ज़ा हसनी नदवी	23
ये दिन ईद का है (पद्य)	इदारा	24
आपके प्रश्नों के उत्तर	मुफ़्ती ज़फ़र आलम नदवी	25
मित्रता तथा शत्रुता केवल	मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद तक़ी उस्मानी	28
धैर्य तथा दीन पर स्थिरता	मौ0 सय्यिद मुहम्मद हम्ज़ा हसनी नदवी	30
तीन महत्वपूर्ण सीमाओं पर काम	ह0 मौ0सै0 अबुल हसन अली हसनी नदवी	31
आल इण्डिया मुस्लिम प्रसनल ला	इदारा	32
रोज़ों की अहम्मीयत	मौलाना मुजीबुल्लाह नदवी रह0	34
इस्लाम में ज़कात की अहम्मीयत	मौलाना मुजीबुल्लाह नदवी रह0	35
अल्लाह के नबियों के अपनी	इदारा	36
इस्लाम के क़ानूने तलाक़	ह0 मौ0सै0 मुहम्मद राबे हसनी नदवी	37
सद्व्यवहार (पद्य)	इदारा	39
उर्दू सीखिए	इदारा	40

क़ुर्आन की शिक्षा

—मौलाना बिलाल अ़ब्दुल ह़यी हसनी नदवी

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

सूर-ए-निसाः

अनुवाद–

ऐ ईमान वालो! तुम्हारे लिए वैध (जायज़) नहीं कि तुम महिलाओं को ज़बरदस्ती अपनी विरासत बना लो और न (यह जायज़ है) कि तुम उन को क़ैद कर लो ताकि तुम उनको जो दे चुके हो उसमें से कुछ वसूल कर लो सिवाय इसके कि वे खुली बुराई करें, और उनके साथ अच्छी गुज़र बसर रखो, अगर तुम उनको पंसद नहीं भी करते तो हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को ना पसंद करते हो और उसमें अल्लाह ने बहुत कुछ अच्छाई रखी हो[1](19) और अगर तुम एक पत्नी की जगह दूसरी पत्नी बदल कर लाना चाहो और तुम एक को ढेर सा माल दे चुके हो तो उसमें से कुछ भी वापस मत लो, क्या तुम उसको मिथ्या आरोप के रास्ते से और खुला पाप करके लोगे(20) और तुम उसको कैसे ले सकते हो जब कि तुम एक दूसरे के रह चुके हो और उन औरतों ने तुम से मज़बूत वादा भी ले रखा है[2](21) और तुम्हारे बाप जिन महिलाओं से निकाह कर चुके हों तुम उन से निकाह मत करना सिवाय उसके जो पहले हो चुका, बेशक यह बड़ी अश्लीलता है और घोर अप्रसन्नता का काम है और बहुत ही बुरा रास्ता है[3](22) तुम पर हराम की गई तुम्हारी माएं और तुम्हारी बेटियां और तुम्हारी बहनें और तुम्हारी फूफियां और मौसियां और तुम्हारी भतीजियां और तुम्हारी भांजियां और तुम्हारी वे माएं जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया और दूध के रिश्ते से तुम्हारी बहनें और तुम्हारी पत्नियों की माएं और तुम्हारे पालन पोषण की सौतेली बेटियां जो तुम्हारी उन पत्नियों से हों जिन से तुम ने संभोग किया है और अगर तुम ने उन से संभोग न किया हो तो तुम पर कोई पाप नहीं[4] और तुम्हारे उन बेटों की पत्नियां जो तुम से पैदा हों और यह कि तुम दो बहनों को इकट्ठा करो सिवाय उसके जो हो चुका (तो हो चुका) बेशक अल्लाह बहुत माफ करने वाला बहुत ही दयालु है(23) और वे औरतें भी (तुम पर हराम की गईं) जो दूसरों के निकाह में हों सिवाय उनके जिनके तुम मालिक हुए[5] यह तुम पर अल्लाह का निर्धारित आदेश है, इनके अलावा (औरतें) तुम्हारे लिए हलाल की गई कि तुम अपने मालों के बदले (निकाह में लाना) चाहो निकाह का रिश्ता क़ायम करने के लिए, मस्ती करने के लिए नहीं[6] फिर इस निकाह के द्वारा जब तुम उनसे लाभ उठाओ तो उनका निर्धारित अधिकार उनको दे दो[7] और तय हो जाने के बाद भी तुम दोनों जिस पर

सहमत हो जाओ उस में कोई हरज नहीं, बेशक अल्लाह खूब जानने वाला बड़ी हिकमतों वाला है[8](24) और तुम में जो आजाद ईमान वाली औरतों से निकाह की ताक़त न रखता हो वह उन ईमान वाली लौंड़ियों से निकाह कर ले जो तुम्हारे कब्ज़े में हों[9] और अल्लाह तुम्हारे ईमान से खूब अवगत है, तुम आपस में एक ही हो तो उनके मालिकों की अनुमति से तुम उन से निकाह कर लो और कानून के अनुसार उनको उनके महेर दे दो, इस प्रकार कि वे (विधिवत रूप से) निकाह में पाई जाएं वे मस्ती करने वालियां न हों और न चोरी छिपे दोस्ती करने वालियां हों, तो जब वे निकाह में लाई जाएं फिर वे दुष्कर्म करें तो आज़ाद औरतों के लिए जो दण्ड है उस का आधा दण्ड उनके लिए है[10] (लौण्डियों से शादी की यह इजाज़त) उसके लिए है जो पाप में पड़ जाने का डर महसूस करे और तुम बर्दाश्त कर लो तो यह तुम्हारे लिए बेहतर है और अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला बहुत ही दयालु है(25) अल्लाह चाहता है कि (सब चीज़ें) तुम्हारे लिए खोल खोल कर बयान कर दे, और पिछले लोगों के तरीके तुम को बता दे और तुम को माफ़ कर दे और अल्लाह खूब जानने वाला बड़ी हिकमतों वाला है(26) और अल्लाह चाहता है कि तुम पर ध्यान दे और इच्छाओं के पीछे लगने वाले चाहते हैं कि तुम बड़े बहकावे में जा पड़ो(27) अल्लाह चाहता है कि तुम से बोझ को हल्का कर दे जब कि इन्सान कमज़ोर पैदा किया गया है(28)।

तफ़्सीर (व्याख्या):-

1. जाहिली युग का रिवाज़ था कि मरने के बाद मुर्दे की पत्नी को मुर्दे का सौतेला बेटा या भाई या कोई सगा संबंधी रख लेता था, ज़बरदस्ती निकाह कर लेता या बिना निकाह के ही रखे रहता या दूसरी जगह अपनी इच्छा से विवाह कर देता और महेर खुद वसूल कर लेता, इस बुरी रीति को समाप्त किया जा रहा है और आदेश हो रहा है कि महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, अगर कोई कमज़ोरी भी उसमें हो तो उपेक्षा की जाए, हां अगर खुली बुराई करे तो डांट–डपट ज़रूरी है।

2. यह भी जाहिली युग की रीति थी कि जब किसी दूसरी महिला से विवाह करना चाहते तो पत्नी पर तरह–तरह के दोष लगा कर उसको मजबूर करते थे कि वह महेर वापस कर दे फिर उसी महेर को अगले निकाह में काम में लाते थे, कहा जा रहा है कि जब तुम लाभ उठा चुके तो तुम महेर किस मुंह से मांग रहे हो, वह तुम्हारा कब रहा।

3. सौतेली माओं से निकाह का आम रिवाज था उसको हराम किया जा रहा है और यह भी बताया जा रहा है कि जो हराम होने से पहले हो चुका उस पर कोई पाप नहीं अब इस से बचना ज़रूरी है।

4. संभोग नहीं किया न तन्हाई हुई और उनको तलाक़

शेष पृष्ठ....11 पर

प्यारे नबी की प्यारी बातें

—अमतुल्लाह तस्नीम

किसी मुसलमान की मुसीबत पर खुशी जाहिर करने की मुमानियतः-

हजरत वासला बिन अस्कअ़ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया अपने मुसलमान भाई की हंसी न उड़ाओ, वरना अल्लाह तआला उस पर तो रहम फरमायेगा और तुम को मुब्तला कर देगा। (तिर्मिजी)

हसब नसब के बारे में मलामत करने की मुमानियतः-

हजरत अबू हुरैरा रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, दो बातें लोगों में ज़ियादा हैं और वह कुफ्र पर दलालत करती हैं—

(1) नसब का ताना देना

(2) दूसरे मय्यत पर नौहा करना। (मुस्लिम)

धोका देने की मुमानियतः-

हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया जो हम पर हथियार उठाये वह हम में से नहीं है और जो हम से दगाबाज़ी करे वह हम में से नहीं है। (मुस्लिम)

माल का खराब भाग ऊपर होना चाहिए :-

एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम गल्ले के एक ढेर के पास से गुज़रे तो उस पर अपना हाथ रखा जब निकाला तो उंगलियां भीगी हुई थीं, आपने गल्ले के मालिक से फरमाया यह क्या है? गल्ले के मालिक ने जवाब दिया कि बारिश हो गयी थी इसलिए यह भीग गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया तो फिर इस भीगे हुए को ऊपर क्यों न कर दिया कि लोग देख लेते और धोका न खाते, फिर फरमाया जो हम को धोका दे वह हम में से नहीं है।

गद्दारी की मुमानियतः-

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया जिस में चार आदतें हों वह पूरे तौर पर मुनाफिक है और जिस में उन में से कोई एक आदत हो उसमें निफाक की एक अलामत है जब तक कि वह छोड़ न दे, वह चार आदतें यह हैं— (1) जब बात कहे झूठ कहे (2) वादा करे तो वादा पूरा न करे (3) अमानत रखाई जाये तो खयानत करे (4) और जब झगड़ा करे तो गाली दे। (बुखारी—मुस्लिम)

कयामत में गद्दार की तशहीरः-

हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि0 और हज़रत अनस रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कयामत के दिन प्रत्येक गद्दार का एक झण्डा होगा और वह कहा जायेगा यह फुलां की गद्दारी है। (बुखारी—मुस्लिम)

शेष पृष्ठ....16 पर

संयम प्रशिक्षण का मास रमज़ान

—डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी

ऐ ईमान वालो तुम पर रोज़े अनिवार्य किये गये जैसा कि तुम से पहले के लोगों पर अनिवार्य किये गये थे ताकि तुम तक्वे वाले (संयमी) बन जाओ (अल बक़रा:183), तक्वा अरबी शब्द है जिस का अनुवाद, हम संयम करते हैं, यह मनुष्य का उत्तम गुण है, जिस मनुष्य में तक्वे का गुण पाया जाये उस को मुत्तक़ी (संयमी) कहते हैं, तक़्वा को ईशभय (ख़ौफ़े खुदा) भी कहते हैं परन्तु ईश भय से तक्वे का पूरा अर्थ अदा नहीं हो पाता, भय दो प्रकार का होता है एक यह कि जिस से डरा जाए उससे कृपा असंभव हो जैसे आग से भय बाघ से भय, दूसरा भय वह है कि जिससे भय रखा जाये उस से कृपा की भी आशा हो, देखिए बच्चा मां से डरता है कि अगर रसोई घर का कोई बरतन बच्चा तोड़ देगा तो उस को डर है कि मां मारेगी परन्तु वही मां बच्चे को कष्टों और खतरों से बचाने के लिए अपने प्राण निछावर कर देगी अल्लाह से ख़ौफ़ (ईश भय) को कुछ इस मां बेटे के उदाहरण से समझा जा सकता है, अतः संयम (तक्वे) ईश भय को बाघ वाले भय की भांति न समझा जाये, मेरी समझ में इसके लिए ईश भक्ति अधिक अच्छा शब्द लगता है, उर्दू में यदि तक्वे को अल्लाह का लिहाज़ कहा जाए तो इससे तक्वे का इधिक अर्थ अदा होगा।

जिस का लिहाज किया जाता है उसके सम्मान में ऐसा काम नहीं किया जाता जो उसको अप्रिय हो यदि अल्लाह का लिहाज किया गया तो ऐसा कोई काम नहीं किया जा सकता जो अल्लाह को अप्रिय हो और अल्लाह से तो हम सात कोठरी के भीतर भी छुप नहीं सकते यहां यदि हमने अल्लाह का लिहाज़ किया तो सात कोठरी के भीतर भी ऐसा करने का साहस नहीं कर सकते जो अल्लाह को अप्रिय हो।

एक सहाबी रज़ि0 ने तक़्वे की व्याख्या इस प्रकार की है—

जिस प्रकार हम कांटे वाले मार्ग से अपने कपड़ों को ऐसा समेट कर निकलते हैं कि हमारे कपड़े कांटो में उलझ न जाएं उसी प्रकार हम अपना जीवन इस प्रकार बिताएं कि हम से कोई ऐसा काम न हो जो अल्लाह को अप्रिय हो।

पवित्र कुर्आन में रमज़ान के रोज़े का लाभ यह बताया गया "ताकि तुम तक्वे वाले बन जाओ" इस का अर्थ यह न लिया जाएगा कि पहले तुम में तक़्वा नहीं था रमज़ान के रोज़े से तक़्वा पैदा होगा। परन्तु तक्वे की श्रेणियां हैं उच्च श्रेणी का तक़्वा रमज़ान के रोज़े से प्राप्त होगा, अन्यथा, तक़्वे के बिना ईमान कहां? कोई ईमान वाला तक़्वा रहित नहीं हो सकता, उच्च स्तर के तक़्वे को पवित्र कुर्आन के इन शब्दों से भी समझा जा सकता है।

तुम में अल्लाह के निकट सब से अधिक प्रतिष्ठित वह है जो सबसे अधिक तक़्वे

वाला है (अलहुजुरातः 13), इससे ज्ञात हुआ कि तक्वे की श्रेणियां हैं और रमज़ान के रोज़ो के प्रशिक्षण द्वारा उच्च स्तर का तक़्वा प्राप्त किया जा सकेगा।

अब आइये देखें कि रमज़ान के रोज़ों से किस प्रकार संयम का प्रशिक्षण होता है यहां यह बात याद रखना चाहिए कि अल्लाह तआला ने अपने बन्दों से अपना आज्ञापालन कराने के लिए अपने नबी को भेजा, अतः जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का आज्ञा पालन किया उसने अल्लाह का आज्ञा पालन किया इसे पवित्र कुर्आन में भी बताया गया है अनुवादः "जिस ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का आज्ञा पालन किया उसने अल्लाह का आज्ञा पालन किया" अतः हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की समस्त शिक्षाओं को अल्लाह की भेजी हुई शिक्षा ही समझते हैं।

रमज़ान का चांद हुआ हम ने रात ही में नीयत की कि सुब्ह को रोज़ा रखेंगे, यह नीयत हम सूरज डूबने से पहले न करेंगे और न फिर दिन में दोपहर के पश्चात (ज़वाल के बाद) यह तक़्वे का पहला प्रशिक्षण है, हम अल्लाह का लिहाज़ (सम्मान) करते हुए इस का विरोध नहीं कर सकते, तक्वे की मांग है कि हम अल्लाह को राज़ी तथा प्रसन्न करने के लिए तरावीह की नमाज़ पढ़ें अतएव हम तरावीह की नमाज़ पढ़ते हैं ताकि अल्लाह हम से प्रसन्न हो अप्रिय न हो, तक्वे की मांग है कि हम रोज़ा रखने के लिए सहरी खाएं यह भी हम अल्लाह के लिहाज़ में करते हैं और सहरी खाते हैं, पांचों वक़्त की नमाज़ हम गैर रमज़ान में भी जमाअत से पढ़ने का प्रयास करते थे परन्तु रमज़ान में इस का अधिक प्रतिबंध करते हैं। यह अधिक प्रतिबन्ध तक्वे ही की मांग है।

एक रोज़ेदार अगर उस का निजी कारोबार है खेती है, दुकान है, कारीगरी से सम्बन्धित कोई कारोबार है तो रमज़ान में उसके काम के समय में इस प्रकार प्रबन्ध कर लेता है कि रोज़े में भी सरलता हो, पांचों वक्त की नमाज़ें भी प्रभावित न हों और तरावीह भी पढ़ सके।

हम अधिकारी हों, कारखाने में काम करते हों, आफिस में काम करते हों, चिकित्सक हों, हर जगह हमारा काम स्वच्छ हो, अपने साथियों, अपने नीचे काम करने वालों को अधिकारियों तथा आम जनता से हमारे व्यवहार में अंतर हो न काम चोरी हो और न काम में कोताही हो, किसी से तू तू मैं मैं भी न हो, हम हर मनुष्य का आदर करें, यह हमारे तक्वे की मांग है, और तक्वे का प्रशिक्षण है, हर व्यक्ति हमारे भले व्यवहार से प्रभावित हो, झूठ बात हमारी ज़बान से न निकले, अप शब्द हमारी ज़बान पर न आएं, अगर कोई अकारण हम से उलझ पड़े तो हमारी ज़बान से नम्रता के साथ निकले कि हम रोज़े से हैं, यह सारे काम तक्वे की मांग के भी हैं और तक़्वे के प्रशिक्षण के भी।

शेष पृष्ठ....22 पर

सदक़ात और ज़कात के बारे में अल्लाह के रसूल सल्ल0 का तरीक़ेकार

—हज़रत मौ0 सै0 अबुल हसन अली हसनी नदवी रह0 —अनुवादः मु0 हसन अंसारी

अल्लाह के रसूल सल्ल0 का माल और अपने घर वालों के साथ मामला नबवी नुक़्त–ए–नज़र (दृष्टिकोण) का पूरा पूरा तर्जुमान था। आखिरत की ज़िन्दगी पर हर वक़्त आप की नज़र रहती थी। आप दुआ करतेः–

"ऐ अल्लाह ज़िन्दगी तो आख़िरत ही की ज़िन्दगी है। मुझे यह अच्छा लगता है कि एक दिन पेट भर कर खाऊँ, एक दिन भूखा रहूँ।"

"ऐ अल्लाह! आल मुहम्मद सल्ल0 को गुज़ारा भर के लिए रिज़्क़ अता फ़रमा।

आप अपनी ज़रूरत से ज़ियादा और सदक़ात के माल में बचा हुआ माल थोड़ी देर भी रखना पसन्द न करते। हज़रत आयशा रज़ि0 से रिवायत है कि "अल्लाह के रसूल सल्ल0 के मर्ज़े वफ़ात के ज़माने में मेरे पास छः या सात दीनार थे। आपने मुझे हुक्म दिया कि इस को तक़सीम कर दूँ। मगर आपकी तकलीफ़ की वजह से मुझे इसका मौक़ा न मिला। फिर आपने मुझ से पूछा। तुम ने उन छः सात दीनारों के साथ क्या किया? मैंने कहा कि ख़्याल न रहा। आपने उसको मंगवाया, अपने हाथ पर रखा, और फ़रमाया कि अल्लाह के नबी का क्या गुमान होगा, अगर वह खुदा से इस हाल में मिला कि उसके पास यह हो।" सही हदीस में है कि आपने फ़रमाया, "उसके पास सामान ज़ायद हो तो उसको दे दे जिसके पास सामान न हो।"

अल्लामा इब्ने क़ैय्यिम नफ़ली सदक़ात के बारे में आपके मामूल का ज़िक्र करते हुए लिखते हैंः–

"अल्लाह के रसूल सल्ल0 अपने माल को सबसे ज़ियादा सदक़ात व ख़ैरात में खर्च करते थे, अल्लाह तआला जो भी आपको अता फ़रमाता, आप न उसको बहुत ज़ियादा समझते न कम ही समझते। आप से अगर कोई शख़्स सवाल करता और आपके पास वह चीज़ होती तो कम ज़ियादा का ख़्याल किये बग़ैर उसको दे देते। और इस तरह देते थे जैसे कमी व तंगी का कोई खौफ़ न हो। अतियात, सदक़ात व खैरात आपका महबूब अमल था। आप दे कर इतना खुश होते जितना लेने वाला ले कर न होता था। सख़ावत में कोई आपका सानी नहीं था आपका हाथ सदक़ात की बादे बहारी था। कोई मोहताज व ज़रूरतमन्द आ जाता तो अपने ऊपर उसको तरजीह देते, और ईसार से काम ले कर कभी खाना कभी कपड़ा इनायत फ़रमा देते। आपके देने के अन्दाज़ भी जुदागाना होते थे। कभी हिबा कर देते, कभी सदक़ा देते कभी हदिया के नाम से देते। कभी किसी से कोई चीज़ खरीदते। फिर उसको उसका सामान और कीमत दोनों ही दे देते, जैसा आपने हज़रत जाबिर रज़ि0 के साथ किया, कभी किसी से क़र्ज़ लेते और जब क़र्ज़ वापस करते तो असल से

ज़ायद और बेहतर देते, कभी कोई चीज़ खरीदते और असल कीमत से जायद देते। हदिया क़बूल फ़रमाते फिर उस से बेहतर कई गुना ज़ियादा हदिया देते। ग़र्ज़ कि हर मुमकिन तरीक़े से सदक़ात और नेकी व सिला रहमी के नये तरीक़े और निराले अन्दाज़ पैदा फ़रमा लेते।"

ज़कात के बारे में भी वक़्त, मिक़दार, निसाब और किस पर वाजिब होती है और इसके क्या मसारिफ़ हैं हर लेहाज़ से आप की लाई हुई शरीअत और आप का तरीक़ा बड़ा कामिल और जामे है। आप ने इसमें मालदारों का भी ख़्याल फ़रमाया और मिस्कीनों की मसलेहत का भी। अल्लाह तआला ने ज़कात को माल और साहबे माल के लिए पाकीज़गी का सबब और मालदारों पर इनामात का ज़रिया बनाया है।

आप का मामूल यह था कि जिस इलाक़े के मालदारों से ज़कात लेते उसी इलाक़े के ग़रीबों और मिस्कीनों में बांट देते। अगर वह उनकी ज़रूरत से जायद होती हो तो आप की खिदमत में लाई जाती और आप खुद तक़सीम फ़रमाते। ज़कात लेने वालों को आप सिर्फ़ उन मालदारों के पास भेजे थे जो जानवरों, खेती, बाग़ात के मालिक हों। आप का यह तरीक़ा न था कि ज़कात में मालदार का अच्छा माल ले लिया जाये बल्कि दरमियानी दर्जे का लिया जाये। आप ने फ़ित्र की अदायगी भी ज़रूरी बताई और आप का मामूल यह था कि ईदगाह जाने से पहले निकाल देते थे।

रोज़ा और उसवये नबी सल्ल0 :-

सन् दो हिज्री में रोज़ा फ़र्ज़ हुआ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नौ वर्ष रमज़ान के रोज़े रख कर वफात पाई। रोज़े के बारे में आप सल्ल0 का तरीक़ा जामे, सहल और आसान था रमज़ान के महीने में आप मुख़्तलिफ़ इबादात की कसरत फ़रमाते थे। हज़रत जिब्रील आते थे, और आप से कुर्आन पाक का दौर करते थे। हज़रत जिब्रील के आने पर आपकी सख़ावत का फ़ैज़ इस तरह जारी होता था जैसे इनामात की तेज़ हवा चल जाये। रमज़ान में आप बहुत सी वह इबादतें करते थे जो ग़ैर रमज़ान में नहीं करते थे। यहां तक की कभी–कभी मुसलसल रोज़ा रखते। हालांकि सहाबाक्राम के लिए आप ने मुसलसल रोज़ा मना कर रखा था। जब सहाबा ने अर्ज़ किया कि आप तो मुसलसल रोज़ा रखते हैं। तो आपने फ़रमाया "मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। मैं अपने रब के पास इस हाल में रात गुज़ारता हूं (और एक रवायत में है कि दिन गुज़ारता हूं) कि वह मुझे खिलाता है।" सहरी खाने पर आप ज़ोर देते थे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि0 बयान करते हैं कि आपने फ़रमाया, "सहरी खाओ क्योंकि सहरी में बरकत है।" आपने फ़रमाया, "हमारे और अहले किताब के रोज़ों में फ़र्क़ सहरी खाने का है।" इफ़तार में देर करने से मना फरमाते" और फ़रमाते "लोग उस वक़्त तक ख़ैर के साथ

रहेंगे जब तक इफ़तार में जल्दी करेंगे।" और फ़रमाते "दीन उस वक़्त तक ग़ालिब रहेगा जब तक लोग इफ़तार में जल्दी करेंगे, क्योंकि यहूद व नसारा देर करते हैं" और सहरी में आप और आपके असहाब का तरीक़ा ताख़ीर का था।

मामूल यह था कि नमाज़ से पहले इफ़तार करते, चन्द तर खजूरें अगर मौजूद होतीं खाते, अगर न होतीं तो ख़ुश्क खजूरें खाते, वरना पानी ही के चन्द घूंट पी लेते। इफ़तार करते वक़्त फ़रमाते :—

"ऐ अल्लाह आप ही के लिए रोज़ा रखा, और आप हीं के रिज़्क़ से इफ़तार करते हैं।"

और फ़रमातेः—

"प्यास बुझ गई, रगें तर हो गईं और इन्शाअल्लाह तआला अज्र साबित हो गया।"

रमज़ान में आप ने अस्फ़ार भी फ़रमाये हैं, कभी रोज़ा रखा, कभी न भी रखा और सहाबा को रोज़ा रखने न रखने का इख़्तेयार दिया। अगर जंग सर पर होती तो रोज़ा न रखने का हुक्म देते ताकि दुश्मन से जंग करने की ताक़त रहे। रमज़ान ही में आपने सबसे बड़ी फैसलाकुन गज़वये बद्र और गज़वये फतेह मक्का का सफ़र किया नमाज़ तरावीह आपने तीन दिन पढ़ाई। एक—एक करके बहुत से लोगों तक खबर पहुंच गई और कसीर मजमा इकट्ठा हो गया। चौथी रात में मजमा इतना हो गया कि मस्जिद नाकाफ़ी हो गई, उस रात आप घर से नमाज़ फ़ज्र ही के लिए निकले और फ़ज्र की नमाज़ के बाद लोगों से हम्द व सना के बाद फरमाया "मैं तुम्हारे यहां (इतनी तादाद में) मौजूद होने से लाइल्म न था, लेकिन मुझे इसका ख़ौफ़ हुआ कि कहीं यह (नफ़िल नमाज़ तरावीह) तुम पर फ़र्ज न कर दी जाये और फिर वह तुम से निभ न सके, फिर अल्लाह के रसूल सल्ल0 की वफ़ात तक बात यहीं तक रही। आप के बाद सहाबा ने तरावीह का एहतमाम किया, यहां तक कि वह अहले सुन्नत का शेआर बन गई।

अल्लाह के रसूल सल्ल0 कसरत से नफ़िल रोज़े रखते थे और छोड़ भी देते थे। रखते तो ख़्याल होता रखते ही रहेंगे और छोड़ते तो ख़्याल होता कि अब नहीं रखेंगे। लेकिन रमज़ान के अलावा किसी महीने के पूरे रोज़े नहीं रखे। और शाबान में जितने रोज़े रखते थे उतने किसी महीने में नहीं रखते थे दोशंबा और जुमेरात के रोज़े का ख़ास एहतमाम फ़रमाते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 कहते हैं कि, "अल्लाह के रसूल सल्ल0 सफ़र व हज़र किसी हालत में महीना की 13,14,15 (अय्यामे बीज) के रोज़े नहीं छोड़ते थे और इसकी ताकीद फ़रमाते थे। और इन दोनों के मुक़ाबले में आशूरा का ख़ास एहतमाम था। आपने आशूरा का रोज़ा रखा तो आप से अर्ज़ किया गया कि यह दिन तो यहूद व नसारा के यहां मुक़द्दस (पवित्र, पाक) दिन है। आपने फ़रमाया अगर अगले साल मौक़ा मिला तो इन्शा अल्लाह नवीं का भी रोज़ा रखेंगे।

अरफ़ा के दिन आप रोज़ा नहीं रखते थे। आप सल्ल0 का मामूल कई–कई दिन लगातार रोज़ा रखने का नहीं था। आप सल्ल0 ने फ़रमाया, "अल्लाह को दाऊद का रोज़ा सबसे ज़ियादा पसन्द है। वह एक दिन रोज़ा रखते थे एक दिन छोड़ते थे। आप की यह भी आदते शरीफ़ा थी की घर तशरीफ़ ले जाते और पूछते कुछ खाने को है। अगर जवाब "नहीं" में मिलता तो फ़रमाते, अच्छा तो आज मैं रोज़े से हूं।

वफ़ात तक आपका मामूल रहा कि रमज़ान के आख़री अशरह में एतकाफ़ फ़रमाते थे। एक बार वह रह गया तो शव्वाल में उसकी क़ज़ा की। हर साल दस दिन का एतकाफ़ फ़रमाया करते थे लेकिन जिस साल वफ़ात हुई उस साल बीस दिन का एतकाफ़ फ़रमाया। और हज़रत जिब्रील हर साल आप से एक बार कुर्आन शरीफ़ का दौर करते थे लेकिन वफ़ात के साल दो बार दौर किया।

कुर्आन की शिक्षा.....

दे दी या निधन हो गया तो ऐसी परिस्थिति में उनकी बेटियों से विवाह जायज़ है।

5. यह लौण्डियों का उल्लेख है जो जिहाद के दौरान क़ैद कर के लाई जाती थीं और उनके काफ़िर पति दारुल्हर्ब में रह जाते थे,उनका निकाह उन पतियों से खत्म हो जाता था लिहाज़ा अब वे दारुल्इस्लाम में आने के बाद एक मासिक धर्म की अवधि पूरी कर लेती थीं और उनको पिछले पतियों से गर्भ नहीं होता था तो उनसे निकाह किसी भी मुसलमान के लिए जायज़ होता था। जिन औरतों का हराम होना बयान हो चुका उनके अलावा बाकी सब चार शर्तों के साथ जाएज़ हैं, तलब करो यानी दोनों ओर से ईजाब व कुबूल हो जाए।

6. महेर देना स्वीकार हो उद्देश्य निकाह 'शादी" हो केवल काम–वासना पूरी करना मकसद न हो, यह न हो कि कुछ अवधि निर्धारित कर ली जाए, निकाह लोगों के सामने हो कम से कम दो मर्द या एक मर्द दो औरतें इस पर गवाह बनें इसलिए कि निकाह एक स्थायी संबंध का नाम है जिसका मक़सद केवल काम वासना पूरी करना नहीं है बल्कि एक मज़बूत पारिवारिक व्यवस्था का नाम है।

7. यानी संभोग कर लिया या तन्हाई में मिले तो महेर अनिवार्य होगा।

8. बाद में दोनों सहमति के साथ महेर कम या ज़ियादा करना चाहें या औरत माफ़ करना चाहे तो इसकी आज्ञा है मगर इसका ध्यान रहे कि औरत यह काम दबाव में न कर रही हो बल्कि पूरी अपनी मर्ज़ी से करे।

9. यानी वे किसी भी मुसलमान के कब्ज़े में हो मालिक की अनुमति से निकाह (शादी) कर सकता है लेकिन अगर आज़ाद महिला निकाह में है तो निकाह जाएज़ नहीं।

10. यानी हर हाल में पचास कोड़े।

❖❖❖

–प्रस्तुति–

जमाल अहमद नदवी सुलतानपुरी

दीनी तथा आधुनिक शिक्षा-अवसर तथा संभावनाएं

—मौलाना अब्दुल क़ादिर पट्टनी नदवी

—हिन्दी इम्ला हुसैन अहमद

नोट:-आधुनिक शिक्षा से हमारा तात्पर्य है दीनी शिक्षा के अतिरिक्त वह ज्ञान विज्ञान जो सांसारिक जीवन में काम आते हैं।

बच्चे की शिक्षा का आरम्भ मां की गोद ही से हो जाता है जहां बच्चा कानों से सुन कर तथा आंखों से देख कर मां की गतिविधियों से शिक्षा प्राप्त करता है। यह बच्चे के बोलने से पहले की बात है फिर मां से और घर के वातावरण से बच्चा बोलना सीखता है फिर बैठना, उठना, खाना पीना, कपड़े पहनना आदि सीखता है यहां तक कि उसके मक्तब जाने का समय आ जाता है जहां पहला चरण बच्चे को मक्तब से परिचित कराना होता है तथा बच्चे में मक्तब जाने की रुचि पैदा करना होता है इस चरण में अच्छा गुरु बच्चे को मक्तब से रुचि रखने वाला ही नहीं अपितु मक्तब को उसके लिए प्रिय स्थान बना देता है।

इसके पश्चात बच्चे की शिक्षा भी चरणबध शुरु होती है, आरम्भ में उसको जो कुछ पढ़ाया जाता है उस को वहीं याद करा दिया जाता है। दीनी मक्तब की शिक्षा अति आवश्यक है जिस बस्ती में दीनी मक्तब नहीं हैं उस बस्ती के बच्चों को दीन से अपरिचित पाया गया वह अपने विषय में यह भी नहीं जानते कि उनको अल्लाह ने पैदा किया हैं दीनी मक्तब में पढ़ने वाले बच्चे पवित्र कुर्आन का पढ़ना सीख जाते हैं तथा अल्लाह, रसूल, जन्नत, जहन्नम के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं।

हमारी कोई भी शैक्षणिक संस्था हो, दीनी संस्था जैसे मक्तब, मदरसा, दारुल उलूम अथवा आधुनिक शिक्षा की संस्थाएं जैसे हाई स्कूल, इण्टर कालेज आदि इन सब में दीन की प्रारम्भिक तथा आवश्यक शिक्षा का प्रबन्ध अवश्य होना चाहिए।

यदि सम्भव हो तो प्राइमरी स्कूल में बच्चे को आधुनिक विषयों के साथ तथा आवश्यक दीनी शिक्षाओं के साथ पवित्र कुर्आन कन्ठस्थ करा दिया जाए परन्तु ऐसा बच्चे की रुचि तथा क्षमता देख कर ही किया जाए उस पर लादा न जाए।

प्रारम्भिक शिक्षा के पश्चात निर्णय लेना होता है कि बच्चे को दीनी ज्ञान का विशेषज्ञ बनाया जाए अथवा आधुनिक शिक्षा का।

चाहिए कि दीनी मक्तबों में आवश्यक दुन्यावी शिक्षा भी दी जाए जैसे गणित, विज्ञान, भूगोल, इतिहास, हिन्दी, अंग्रेजी आदि। फिर दीन की उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों को आवश्यक गणित तथा सामाजिक ज्ञान जैसे अर्थशास्त्र, राजनीति आदि की शिक्षा का प्रबन्ध ऊपर की कक्षाओं में अवश्य हो साथ ही उनको राष्ट्रभाषा हिन्दी तथा अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी की आवश्यक शिक्षा का अवश्य प्रबन्ध हो। इसी प्रकार आधुनिक शिक्षाओं की संस्थाओं में आवश्यक दीन सिखाने का प्रबन्ध हो जिन स्कूलों कालिजों में आवश्यक दीन की शिक्षा का प्रबन्ध न

हो वहां के मुस्लिम विद्यार्थियों के लिए उनके अभिभावकों या दीन का प्रसारण करने वाली समितियों को चाहिए कि मगरिब और इशा के बीच में, मस्जिदों आदि में उनकी आवश्यक दीनी शिक्षा का प्रबन्ध करें।

बच्चियों की दीनी व दुन्यावी शिक्षा का प्रबन्ध भी आवश्यक है। छोटी बच्चियां तो दीनी मक्तब में बच्चों के साथ शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं लेकिन जब बच्चियां सियानी होने लगें तो उनकी शिक्षा का अलग प्रबन्ध आवश्यक है। आज कल मुसलमान इस ओर ध्यान दे रहे हैं और लड़कियों की उच्च दीनी शिक्षा के लिए जगह जगह मदरसे स्थापित हो गए हैं।

स्कूलों कालेजों के विद्यार्थियों को दीनी जानकारी देने के लिए वाचनालयों से भी काम लिया जा सकता है सम्भव हो तो मुस्लिम महल्लों में ऐसे वाचनालय स्थापित किये जाएं जिन में दीन की जानकारी देने वाली उचित पुस्तकें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों और वाचनालय का अच्छा प्रबन्ध हो उसमें ऐसी पुस्तकें भी उपलब्ध हों जिन में दूसरे धर्मों की शुद्ध जानकारी हो और धर्मों के बीच वाद विवाद की बातें न हों अपितु मेल मिलाप का पथपर्दशन किया गया हो, वाचनालयों में संभव हो तो लड़कियों के लिए पृथक बैठने तथा अध्ययन करने का प्रबन्ध हो।

हमारे बहुत से मुस्लिम भाई बड़े हो कर कारोबार में लग गए मगर उनकी कोई शिक्षा न हो सकी या शिक्षा तो हुई परन्तु दीन की शिक्षा न हुई, इसी प्रकार हमारे गैर मुस्लिम भाई जो बड़े हो चुके हैं। उनकी इस्लाम के विषय में जानकारी बिलकुल नहीं है जब कि वह इस्लाम से परिचित होना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए प्रौढ़ शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिए, जिस में अनुभवी मुस्लिम गुरुजन, मुस्लिम युवकों को पृथक आवश्यक दीनी शिक्षा दें तथा मुस्लिम युवकों और गैर मुस्लिम युवकों को सम्मिलित शिक्षा में भारत के सभी प्रसिद्ध धर्मों की मौलिक बातों से अवगत करा कर परस्पर मेल मिलाप के लिए उत्साहित करें।

प्रलोक (आखिरत) तथा आजीविका:-

हम आलिम, फ़ाज़िल, मुफ़्ती, मुहद्दिस और मुफस्सिर बनें या बी0ए0, एम0ए0 अथवा पीएचडी करें सब को आखिरत (प्रलोक) की सफलता के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है तो दूसरी ओर सांसारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आजीविका उपार्जन की भी आवश्यकता है अतः दोनों प्रकार की शिक्षाओं की आवश्यकता है ताकि आखिरत भी बन सके और इस संसार में भी सुख चैन मिल सके।

क्या दोनों शिक्षाएं प्राप्त की जा सकती हैं?:-

यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस का उत्तर न "हां" शुद्ध है न "ना" अतः ऐसा उत्तर होना चाहिए जिस में "हाँ" व "न" दोनों हों और उत्तर शुद्ध भी हो एक व्यक्ति में दीनी व दुन्यावी ज्ञान का सम्पूर्ण संग्रह असम्भव तो नहीं है परन्तु ऐसा यदा कदा ही हो पाता है।

सच्ची बात तो यह है कि दीनी ज्ञान का विशेषज्ञ, दुन्यावी ज्ञान का विशेषज्ञ नहीं हो सकता इसी प्रकार दुन्या का विशेषज्ञ, दीन का विशेषज्ञ नहीं हो सकता जिस प्रकार कुशल डाक्टर, कुशल इंजीनियर नहीं हो सकता अलबत्ता दीन का विशेषज्ञ दुन्या का आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर सकता है इसी प्रकार दुन्यावी ज्ञान का विशेषज्ञ दीन की आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकता है।

कुछ लोगों का मत है कि दीन के आलिमों को टेक्निकल शिक्षाएं दी जाएं ताकि वह टेक्निकल शिक्षा से आजीविका उपार्जन कर के सुखी जीवन बिता सकें और दीन का काम भी कर सकें।

इस मत पर मुस्लिम अनुभवी विद्वानों की यह टिप्पणियां हैं:—

(1) दीनी शिक्षा में तफ़सीर, हदीस, फिक्ह अपितु साहित्य तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जीवनी (सीरत) इन में से हर एक स्थाई तथा विस्तृत विषय है और हर एक सम्पूर्ण ध्यान तथा समय चाहता है जब तक उसके लिए चित्त स्थिरता प्राप्त न हो तब तक किसी विषय में कुशलता प्राप्त न हो सकेगी।

(2) यदि आलिम लोग टेक्निकल शिक्षा में निपुण हो जाएंगे या किसी दूसरे आधुनिक विषय में निपुणता प्राप्त कर लेंगे तो निश्चित अनुमान यह है कि वह दीन के काम के न रहेंगे जो बड़े घाटे की बात होगी।

अतः माध्यमिक शिक्षा के पश्चात विद्यार्थी की रुचि तथा क्षमता के अनुकूल उस की उच्च शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिए परन्तु हर दशा में मुस्लिम युवक के लिए आवश्यक दीनी शिक्षा का प्रबन्ध अवश्य होना चाहिए।

महान मुस्लिम विचारक हज़रत मौलाना सय्यिद अबुल हसन अली नदवी रह0 अपने फूफा मौलाना सय्यिद तलहा हसनी रह0 का आभारी होना प्रकट करते थे कि उन्होंने दीनी शिक्षा तथा अरबी साहित्य को अपनाने का परामर्श दिया अन्यथा उस समय की परिस्थिति के अनुकूल मौलाना का किसी विश्वविद्यालय की ओर रुख होता तथा अनुमान यह है कि उसमें वह सफलता न मिलती जो इस परामर्श में मिली।

यह सच है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में जो व्यक्ति नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मिला और ईमान लाया तो किसी की भी न तो रुचि का अनुमान लगाया गया न क्षमता का, हर एक को इस्लाम की शिक्षा दी गई और हर एक को इस्लाम के लिए योग्य समझा गया यह अल्लाह की कृपा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का चमत्कार था तथा आपका कथन भी है "सब से अच्छा मेरा काल (ज़माना) है"।

अल्बत्ता इस जमाने में बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए उस की रुचि तथा क्षमता का अनुमान लगाना आवश्यक है और यह काम माध्यमिक शिक्षा के निपुण गुरुजनों का है वह आवश्यकता पड़ने पर दूसरे विशेषज्ञों से भी सहयोग ले सकते हैं परन्तु याद रहे जो व्यस्क विद्यार्थी दीन की उच्च शिक्षा अपने इरादे से प्राप्त करना चाहता हो उसे दीन की उच्च शिक्षा से वंचित न किया जाए चाहे उसके विषय में विशेषज्ञों की दृष्टि में उसके

विपरीत राय पाई जाती हो अलबत्ता दुन्यावी ज्ञान की शिक्षा में विशेषज्ञों की राय अवश्य मालूम कर लेना चाहिए कि विद्यार्थी गणित में रुचि रखता है या इंजीनियरिंग में, मेडिकल में रुचि रखता है या विज्ञान में, जिस विषय में या विषय की किसी शाखा में विद्यार्थी रुचि रखता हो यदि उसकी उच्च शिक्षा उसी में दिलाई जाएगी तो वह अपने विषय में निपुण हो कर निकलेगा।

आजीविका उपार्जन की समस्या भी बड़ी महत्वपूर्ण है और अब तो शिक्षा को भी रोटी रोज़ी से जोड़ा जाने लगा है आजीविका भी मनुष्य की मौलिक तथा प्राकृतिक आवश्यताओं में से है अतएव आजीविका की प्राप्ति के लिए वैध साधनों को ग्रहण करने का दीन में बड़ा महत्व है पवित्र कुर्आन में नमाज़, रोज़ा ज़कात, हज के वर्णन के साथ आजीविका का उल्लेख भी आया है, सूरतुल जुमुआ की आयतः 9,10 का अनुवाद पढ़ियेः—

"ऐ ईमान वालो जब जुमा के दिन नमाज़ के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह की याद की ओर दौड़ पड़ो और क्रय—विक्रय छोड़ दो। यह तुम्हारे लिए अच्छा है यदि तुम जानो"।

"फिर जब नमाज़ पूरी हो जाए तो धरती में फैल जाओ और अल्लाह का उदार अनुग्रह (रोज़ी) तलाश करो, और अल्लाह को बहुत ज़ियादा याद करते रहो, ताकि तुम सफल हो"।

यद्यपि इन आयतों में जुमे की नमाज़ के आदेश बयान हुए हैं परन्तु आजीविका उपार्जन विशेष कर उस के एक महत्वपूर्ण साधन व्यापार का उल्लेख किया गया है आयत के वाक्य— *"अल्लाह की रोज़ी तलाश करो"* में यद्यपि रोज़ी तलाश करने का आदेश है उस से रोज़ी तलाश करना अगरचि फर्ज नहीं सिद्ध किया गया है परन्तु इस से रोज़ी तलाश करने का महत्व अवश्य सिद्ध होता है जैसा की बाज गुजरे दीनी महापुरुषों का अमल रहा है कि वह दीनी खिदमात के साथ रोज़ी कमाने का भी कोई वैध साधन अपनाते रहे हैं।

हमारे देश के मुसलमानों में आम तौर से निर्धनता तथा माली कमज़ोरी है फिर भी मुसलमान उलमा के इशारों पर दीनी कामों के लिए अपनी गाढ़ी कमाई का कोई भाग प्रस्तुत करते हैं जिससे दीनी इदारे चलते हैं अतः हम मदरसे वालों को चाहिए कि क़ौम के बच्चों को दीनी शिक्षाओं के साथ ऐसे हुनर सिखाने का प्रयास भी करें कि वह हलाल रोज़ी कमा कर अपना गुजर बसर कर सकें परन्तु इस का ख्याल रहे कि वह दुन्यावी हुनर दीनी शिक्षा की विशेषता को प्रभावित न कर सक़े अल्बत्ता जिन विद्यार्थियों में दीन की खिदमत, संयम तथा त्याग अर्थात जुहद व तक्वा की क्षमता न दिखे उनको आवश्यक दीन पढ़ा कर और आवश्यक दीन पर लगा कर उनकी रुचि के अनुकूल किसी हुनर में या ज्ञान में आगे बढ़ने में सहयोग दिया जाए इस प्रकार मुस्लिम क़ौम के युवक उच्च शिक्षा प्राप्त कर के या अच्छे हुनर के द्वारा मुस्लिम क़ौम की निर्धनता तथा दरिद्रता दूर करने में सक्षम हो सकेंगे।

हमारे वतनी भाईयों को इस्लाम में औरतों के हिजाब के आदेश से धोखा हुआ है कि इस्लाम औरतों के विकास का विरोधी है जब कि ऐसा नहीं है इस्लाम औरतों के हिजाब को अनिवार्य करता है परन्तु उन के विकास को नहीं रोकता, बहुत सी मुस्लिम महिलाओं ने हिजाब के साथ उच्च शिक्षा में मर्दों को अपने पीछे छोड़ दिया हम को अपने अमल से इस गलत फहमी को दूर करना है साथ ही हमारे विषय में जो उनके मस्तिष्क में दूसरी भ्रांतियां बैठी हैं कि मुसलमान झगडालु होता है, आतंकी होता है आदि इन भ्रांतियों को भी अपने भले आचरणों द्वारा उन के मस्तिष्क से निकालना आवश्यक है इस के लिए हम को वतनी भाईयों से मिल कर उन को इस्लाम के गुण बता कर और उनके साथ इस्लामिक व्यवहार कर के उन को अपना मित्र बनाने का प्रयास करना चाहिए इसी प्रकार अच्छी पुस्तकों और अच्छे लेखों द्वारा इस्लाम के गुण उन तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए।

प्यारे नबी की प्यारी बातें.....

हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ि0 से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया हर गद्दार के लिए एक झण्डा होगा जो उसकी सुरीन (चूतड़) के पास होगा और उसकी गद्दारी के बराबर ऊँचा होगा और सुन लो अवाम की गद्दारी से अमीर की गद्दारी ज़ियादा बड़ी है।

(मुस्लिम)

अल्लाह तआला के फरीक व मुद्दआ :-

हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 से रिवायत है कि वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नकल करते हैं कि अल्लाह तआला फरमाता है कि कयामत के दिन मैं तीन लोगों से झगडूंगा–

(1) वह जिस ने मेरा वास्ता दे कर वादा किया फिर उसको पूरा न किया।

(2) वह जिसने आजाद को बेच कर उसकी कीमत से फायदा उठाया।

(3) वह आदमी जो कि मजदूर से पूरा काम ले और मजदूरी न दे।

(बुखारी–मुस्लिम)

रहमत से महरूम तीन तहर के लोगः-

हज़रत अबू जर्र रज़ि0 से रिवायत है कि वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत करते हैं फरमाया तीन आदमियों से अल्लाह तआला कयामत के दिन न बात करेगा न उनकी ओर देखेगा, न उन को पाक करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है, मैं ने अर्ज किया वह बर्बाद हो गये, उन्होंने नुकसान उठाया, वह कौन लोग हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया पायजामा लटकाने वाला, खर्च कर के एहसान रखने वाला, और अपने सामान को झूठी कस्में खा कर बेचने वाला।

(मुस्लिम)

एक रिवायत में है कि पायजामा या कुर्ता टखने से नीचे शेखी से लटकाने वाला।

❖❖❖

–प्रस्तुति–

जमाल अहमद नदवी सुलतानपुरी

तरावीह़ की नमाज़ और एअ़तिकाफ़

—इदारा

रमज़ान में तरावीह की नमाज़ का बड़ा महत्व है, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने स्वयं अपने सहाबा को तरावीह की नमाज़ जमाअ़त से पढ़ाई परन्तु आप ने यह नमाज़ केवल रमज़ान की तीन रातों में पढ़ाई, पहली रात में इशा की नमाज़ के बाद आप ने तरावीह की नमाज़ पढ़ाई, दिन में, सहाबा में इस नमाज़ की चर्चा हुई तो दूसरी रात इस नमाज़ में सहाबा की भारी तादाद थी, दिन में फिर इस नमाज़ की चर्चा हुई तो रात में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तरावीह़ की नमाज़ पढ़ाई तो नमाज़ियों की इतनी तादाद हो गई की मस्जिद में जगह न रही। चौथी रात इशा की नमाज़ के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने हुजरे में चले गए, सहाबा इन्तिजार में बैठे रहे कि आप आएंगे और तरावीह की नमाज़ पढ़ाएंगे लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हुजरे से बाहर न आये। सुब्ह की नमाज़ के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा से फरमाया कि मैं तुम्हारा ज़ौक़ व शौक देख रहा था, मुझे डर हुआ कि कहीं यह नमाज़ तुम पर फर्ज़ न कर दी जाए और उसकी अदायगी में तुम से कोताही हो इस लिए मैं हुजरे से नहीं निकला, उसके बाद से नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के काल में और हज़रत अबू बक्र रज़ि0 के काल में यह नमाज़ जमाअ़त से नहीं पढ़ी गई लेकिन सहाबा रज़ि0 अपने तौर पर अलग अलग यह नमाज़ पढ़ते रहे सहाबा में इस बात में मतभेद हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तरावीह की नमाज़ में कितनी रकअ़तें पढ़ाई थीं। सब अपने अपने मत के अनुकूल यह नमाज़ पढ़ते रहे यहां तक कि दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ि0 का ज़माना आ गया।

हज़रत उमर रज़ि0 ने सहाबा के मशवरे से यह फैसला लिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तरावीह की नमाज़ जमाअ़त से पढ़ना पसन्द था अतएव तीन दिनों तक इसे जमाअत से पढ़ाया भी था लेकिन सहाबा के शौक को देख कर इस लिए रोक दिया था कि कहीं वह उन पर फर्ज़ न कर दी जाए और वह उस की अदाएगी में दुशवारी महसूस करें यही खतरा हज़रत अबू बक्र रज़ि0 के सामने रहा और उन्होंने अपनी खिलाफत के ज़माने में तरावीह की नमाज़ लोगों को अलग अलग पढ़ने दिया और जमाअ़त से न पढ़वाया, अब चूंकि इस का डर नहीं है इस लिए यह नमाज़ जमाअ़त से पढ़ी जाए और आपने मस्जिदे नबवी में तरावीह की नमाज़ के इमाम की तअ़यीन (नियुक्ति) भी कर दी और तरावीह की रक़अतों के मत भेद को दूर करते हुए बीस रकअ़तें पढ़ने का आदेश दिया।

इस विषय में मौलाना मुजीबुल्लाह नदवी अपनी पुस्तक "इस्लामी फिक़्ह" भाग—1 के पेज नं0 399.—400 पर लिखते हैं:—

"हज़रत उमर रज़ि0 ने अपने ज़माने में मस्जिदे नबवी में बीस रकअ़त बाजमाअ़त तरावीह पढ़ने का और पढ़ाने का एहतिमाम किया और आम सहाबा रज़ि0 उस में शरीक हुए और किसी ने हज़रत उमर रज़ि0 की राय से इख्तिलाफ़ नहीं किया, इस बिना पर अइ–मए –सलासा यानी इमाम अबू हनीफा रह0, इमाम शाफई रह0 और इमामे अहमद बिन हंबल रह0 और दाऊद जाहिरी रह0 बीस रकअ़त के काइल हैं और उसी को जम्हूरे उम्मत ने इख्तियार किया है, इमामे मालिक रह0 के बारे में कई रिवायतें हैं जिन में एक रिवायत बीस की भी है मगर उन का मुअ़त्मद अ़लैह मस्लक 36 रकअ़ात का है, बाज आइम्मा ने इससे भी ज़ियादा लिखा है।

बाज सहाबा रज़ि0 से वित्र के अलावा 8,10 रकअ़ात का तरावीह का पढ़ना साबित है, हिन्दोस्तान के अहले हदीस हज़रात इसी पर अमल करते हैं मगर उन हज़रात का बीस रकअ़ात या उससे ज़ियादा पढ़ने वालों के फेल को खिलाफे सुन्नत कहना और उस पर झगड़ना इन्तिहाई ना मुनासिब बात है, इसलिए कि जम्हूरे उम्मत बीस या उससे जाइद के काइल हैं और इस पर उम्मत का इजमाअ़ हो चुका है, उन का अमल इजमाअे उम्मत के खिलाफ है, आज भी हरमैन शरीफैन में बीस रकअ़ात ही तरावीह होती है"।

तरावीह की नमाज़ का हुक्मः–

तमाम बालिग मर्दों और औरतों के लिए नमाज़े तरावीह का पढ़ना सुन्नते मुअक्किदा है, अल्बत्ता औरतों को तरावीह घर में पढ़ना चाहिए और मर्दों को मस्जिद में जमाअ़त के साथ, अगर किसी महल्ला या गांव की मस्जिद में तरावीह की नमाज़ जमाअ़त से न पढ़ी जाए तो उस गांव या महल्ले के लोग सुन्नत छोड़ने के गुनाह में मुबतला होंगे और काबिले मलामत होंगे।

रमज़ान के महीने में यूं भी जिस वक्त कोई नफ़्ल नमाज़ पढ़ें उस का सवाब दूसरे महीनों के फर्ज़ के बराबर मिलता है लेकिन नमाज़े तरावीह जिस की बहुत ताकीद आई है उस का एहतिमाम बहुत ज़ियादा करना चाहिए।

तरावीह में खत्म कुर्आनः–

रमज़ान शरीफ में कुर्आन के दौर की बड़ी अहम्मीयत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रमज़ान में हज़रत जिब्रील को कुर्आन सुनाते थे और अपने आखिरी रमज़ान में तो दो दौर सुनाए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तीसरी रात जो तरावीह पढ़ाई थी वह इतनी लम्बी थी कि सहाबा को खयाल होने लगा था कि ऐसा न हो कि सहरी का वक्त न मिले इन सब बातों को सामने रखते हुए उलमा ने तरावीह की नमाज़ में एक कुर्आन खत्म करने को सुन्नत लिखा है लिहाजा इस का एहतिमाम करना चाहिए लेकिन अगर कुर्आन सुनाने वाला हाफिज़ न मिल सके तो कुर्आन की कुछ सूरतों से बीस रकअ़ात जमाअ़त से पढ़ लेना चाहिए।

हाफिज को तरावीह की नमाज़ में कुर्आन शरीफ इतना तेज न पढ़ना चाहिए की अल्फ़ाज़ समझ में न आएं, रही बात तरावीह की

नमाज़ में कम ज़ियादा पढ़ने की इस को नमाजियों के मुतालबे और हाल पर छोड़ देना चाहिए।

तरावीह की नमाज़ की उजरत तै कर के कुर्आन सुनाना दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता अगर कोई अपनी तरफ से खुफया तौर पर हाफिज साहब को हदीया पेश करे तो हाफिज साहब के लिए उसके क़बूल करने में हरज मालूम नहीं होता।

रमज़ान में तरावीह की नमाज़ के बाद वित्र की तीन रकआत जमाअत से पढ़ी जाती हैं इस की तीनों रकअतों में किराअत जहरी होती हैं और तीसरी रकअत में दुआए कुनूत आहिस्ता पढ़ी जाती है।

एतिकाफ़ (एअ़तिकाफ़) :-

एतिकाफ़ अरबी शब्द है इस का अर्थ है ठहरना और किसी जगह बन्द होना है परन्तु शरीअ़त में रमज़ान के आखिरी दस दिनों में या दूसरे दिनों में दुन्या के कारोबार और बीवी बच्चों से अलग हो कर मस्जिद में और औरतों के लिए घर में किसी एक जगह इबादत के लिए ठहरने को एतिकाफ़ कहते हैं एतिकाफ़ करने वाले को मोतकिफ (मुअ़तकिफ) और जिस जगह एतिकाफ़ करते हैं उस को मोतकफ (मुअ़तकफ) कहते हैं।

रमज़ान के आखिर के दस दिनों में मस्जिद में एतिकाफ़ करना सुन्नते मुअक्कदा अलल–किफाया है अर्थात मस्जिद में अगर एक शख्स भी एतिकाफ़ कर लेगा तो उस मस्जिद के महल्ले या मस्जिद के गांव के सभी मुसलमानों की तरफ से एतिकाफ़ की सुन्नत अदा हो जाएगी लेकिन अगर मस्जिद में कोई भी एतिकाफ़ न करे तो मस्जिद के महल्ले के या मस्जिद के गांव के तमाम मुसलमानों पर एतिकाफ़ की सुन्नत छोड़ने का गुनाह होगा।

बीस रमज़ान को अस्र की नमाज़ के बाद एतिकाफ़ के लिए एतिकाफ़ की नीयत से मस्जिद में बैठ जाना चाहिए अगर कोई ज़रूरत हो और अस्र बाद न बैठ सकें तो सूरज डूबने से पहले पहले एतिकाफ़ की नीयत से मस्जिद में दाखिल हो जाएं और कोई जगह खास कर लें और उस जगह पर अपना बिस्तर बिछा लें और चाहें तो उस जगह को पर्दे से घेर लें मगर इस तहर कि जमाअ़त के वक्त पर्दा उठाया जा सके और बिस्तर लपेटा जा सके ताकि जमाअ़त में कोई खलल न पड़े। यह एतिकाफ़ ईद का चांद देखने तक जारी रहेगा, जब ईद का चांद दिख जाए तब मोतकिफ अपने मोतकफ से बाहर आएगा। मर्द सिर्फ मस्जिद ही में एतिकाफ़ कर सकते हैं।

औरतों का मोतकफ़ :-

औरतों के लिए मस्जिद में एतिकाफ़ करना मकरूहे तहरीमी है औरतें अपने घर में जिस जगह नमाज़ पढ़ती हैं उस जगह को अपना मोतकफ बना लें। अगर नमाज़ के लिए कोई खास जगह न हो तो घर में कोई मुनासिब जगह मुकर्रर कर के पर्दे से घेर लें और उसी में एतिकाफ़ करें।

सुन्नत एतिकाफ़ के लिए ज़रूरी बातें:-

(1) मर्दों के लिए मस्जिद में और औरतों के लिए अपने घर में मोतकफ में बीस

रमज़ान की शाम को सूरज डूबने के पहले से ले कर ईद का चाँद दिखने तक ठहरना और शरई इजाज़त के बगैर दरमियान में मोतकफ से बाहर न आना।

(2) एतिकाफ़ की नीयत करना जरूरी है, बगैर नीयत के कोई शख्स रमज़ान के आखिरी अशरे में मस्जिद में ठहरा रहे या औरतें अपने मोतकफ में बगैर नीयत के ठहरी रहें तो एतिकाफ न होगा।

(3) मोतकिफ को हदसे अक्बर से पाक होना जरूरी है यानी उसको जनाबत वगैरा के गुस्ल से पाक होना जरूरी है। इसी तरह औरत को हैज (माहवारी) और निफास (प्रसव रक्त) से पाक होना जरूरी है।

जो बातें एतिकाफ़ में हराम हैं:-

(1) बे जरूरत मोतकफ से बाहर निक़लना हराम है, याद रहे मस्जिद का वह पूरा हिस्सा जिस में नमाज़ पढ़ी जाती है मोतकफ है। और औरतों का मोतकफ वह है जो उन्होंने अपने घर में एतिकाफ़ के लिए खास कर लिया।

खाने, पीने पाखाना पेशाब और फर्ज गुस्ल करने के लिए मोतकफ से बाहर निकलना दुरुस्त है।

अगर जिस मस्जिद में एतिकाफ़ किया है उस में जुमे की नमाज़ नहीं होती है तो जुमे की नमाज़ अदा करने के लिए जामे मस्जिद जाने की इजाजत है मगर जुमे की नमाज़ खत्म होते ही अपने मोतकफ में वापस आना ज़रूरी है अलबत्ता सुन्नतें भी वहां पढ़ सकते हैं। जुमे की नमाज़ से पहले की सुन्नतें मोतकफ में पढ़ कर जाना चाहिए।

कुछ और ज़रूरी बातें :-

अगर कोई खाना पहुंचाने वाला हो तो खाना खाने के लिए मोतकफ न छोड़ें, मस्जिद में अगर बैतुलखला और गुस्ल खाना हो तो पाखाने पेशाब और फ़र्ज गुस्ल के लिए उसी में जाएं, लेकिन अगर कोई दुश्वारी हो तो इन कामों के लिए अपने घर भी जा सकते हैं, जिस काम के लिए भी मोतकफ से बाहर निकलें वह काम हो जाते ही मोतकफ में वापस आएं किसी से बातें करने के लिए रुकें नहीं।

(2) एतिकाफ की हालत में मुबाशरत हराम है मोतकफ में या मोतकफ के बारह इससे एतिकाफ टूट जाएगा।

औरतों का बोसा लेना या उनको चिमटाना इन कामों से एतिकाफ टूटेगा नहीं मगर यह मकरूहे तहरीमी है।

मोतकफ में दुन्यावी काम करना मकरूह है।

मोतकिफ को अपने मोतकफ में इबादत के बजाए चुप चाप बैठे रहना मकरूह है उसको चाहिए कि फर्ज नमाज़ों के एलावा नफ़्ल नमाज़ों में या कुर्आन की तिलावत में या जिक्र में या दुरूद पढ़ने में या दीनी मजमून या किताब लिखने में मशगूल रहे, मोतकफ में सोना जाइज है।

एतिकाफ़ की कज़ा :-

अगर रमज़ान के आखरी अशरे का एतिकाफ टूट जाए तो जिस दिन का एतिकाफ टूटे रमज़ान के बाद उसकी क़ज़ा करे यानी जिस दिन कज़ा करना हो उससे एक दिन पहले की शाम को सूरज

शेष पृष्ठ...34 पर

नवीन संकल्प, साहस, उल्लास तथा नवीन उत्साह

—मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद तक़ी उस्मानी

—हिन्दी इम्लाः हुसैन अहमद

वातावरण के जिस बिगाड़ से आज हमारा सामना है उसमें इस्लाम का सर्व प्रथम निर्देश यह है कि अल्लाह तआला के साथ अपना सम्बन्ध सुदृढ़ करो, आज हमारी चिनताओं तथा व्याकुल्ताओं का वास्तविक कारण यह है कि हम तामस मन तथा भौतिकता के दास बन कर रह गए हैं हमारी दृष्टि हर समय भौतिक लाभों तथा भोगविलास के आनन्द पर केन्द्रित रहती है और अल्लाह तआला के व्यक्तित्व तथा गुणों पर जो विश्वास तथा भरोसा और उसके सर्व शक्तिमान होने का हर समय का स्मरण जो एक मुसलमान की सबसे बड़ी पूंजी थी, उसे हम खो चुके हैं।

आधुनिक संसार जो इस व्याकुल तथा शान्ति रहित जीवन का भली भांति अनुभव कर चुका है उसके लिए इस्लाम के प्रदान किए हुए शांतिमय आध्यात्मिक जीवन की ओर लौटना अधिक सरल है मन की चाहतों तथा भौतिकवाद के भंवर से निकल कर यदि वह अल्लाह तआला से अपना सम्बन्ध जोड़ने का प्रयास करेगा तो उस को प्रथम पग ही पर अनुमान हो जाएगा कि उस के जीवन में वह क्या कमी थी जिस ने सुख, चैन के साथ उसके साधनों को प्रभावित तथा आनन्द रहित बना दिया था?

मनुष्य इस ब्रहम्माण्ड का निर्माता तथा स्वामी नहीं है वह स्वयं किसी का रचित है, सृष्ट है उसके जीवन का उद्देश्य ही यह है कि किसी की उपासना करे, दास्ता करे आज हमारी समस्याओं का सबसे अधिक सफल तथा मौलिक उपचार यह है कि अल्लाह तआला के साथ हमारा सम्बन्ध सुदृढ़ हो और यह एक ऐसा उपचार है जिसे हर काल में हर समय किसी रुकावट के बिना अपनाया जा सकता है, इस्लाम की शिक्षाओं में उपासनाओं का विभाग इसी उद्देश्य के लिए रखा गया है, यदि उन को पूर्णतः अपनाया जाये तो उपासनाओं के यह नियम और विधियां मनुष्य के अल्लाह से सम्बन्ध को दृढ़ बना देंगी, इस्लाम में मनुष्य के सफल जीवन का मर्म छुपा हुआ है, इस्लामिक उपासनाएं इसी लिए हैं कि उनके द्वारा मुनष्य का सम्बन्ध अल्लाह से दृढ़ हो अतः मनुष्य के लिए उपासनाओं को तमाम आदेशों पर प्राथमिकता रखी गई है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शिक्षाओं का लगभग एक तिहाई भाग उपासनाओं ही के शिक्षण तथा प्रशिक्षण पर आधारित है।

आइये, हम अपने महापुरुषों से सुने हुए एक सब से अच्छे उपाय को प्रयोग में लाएं जो परिस्थिति के सुधार के लिए दूसरे तमाम उपायों से अधिक लाभदायक है। मान लीजिए कि आप अपने वातावरण के घेरे में अपने को पूर्णता विवश पाते हैं विलाशता, कुशल प्रियता तथा शिथिलता ने साहस तथा संकल्प के हथियारों को गुट्ठल कर रखा है और आप किसी उपाय से

अपने आप पर नियंत्रण नहीं पा सकते, परन्तु एक काम ऐसा है जिसे आप हर समय, हर स्थान पर हर वातावरण में बिना रोक टोक के कर सकते हैं, आप अपने दिन रात के 24 घण्टों में से थोड़ा सा समय, पांच मिनट, दस मिनट इस काम के लिए निकालिए और एकान्त में बैठ कर अल्लाह तआला से केवल यह विनय (दुआ) कीजिए कि "या अल्लाह! मैं अपने वातावरण के हाथों विवश हो चुका हूं मेरे सुधार का हर उपाय विफल हो चुका है। संकल्प तथा साहस लाभरहित हो चुके हैं मैं अपने में इतनी शक्ति नहीं पाता हूं कि अकेले विकृत वातावरण से लड़ सकूं, तू अपनी कृपा तथा दया से मुझ को अपना सहयोग प्रदान कर, मेरे संकल्प तथा साहस को जागरूकता प्रदान कर, मुझे अपने दीन पर चलने की शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान कर"।

यदि कोई व्यक्ति प्रति दिन नियम पूर्वक मन की स्वच्छता तथा शुद्ध संकल्प के साथ यह दुआ कर लिया करे तो अनुभव यह है कि इस दुआ से समस्याओं की समस्त गांठें एक एक करके खुलती चली जाती हैं, मन में नया संकल्प, नवीन साहस, नये उल्लास तथा नवीन उत्साह उत्पन्न होते हैं तथा अन्ततः यह संक्षिप्त कर्म एक बहुत ही आनन्दित दीनी परिवर्तन की भूमिका बन जाता है।

❖❖❖

संयम प्रशिक्षण का मास.....

हम को चाहिए कि अगर हम को अल्लाह ने माल दे रखा है तो गरीबों, मुहताजों, यतीमों (अनाथों) बेवाओं आदि की मदद करें, अगर हम पर ज़कात फ़र्ज़ है तो ज़कात के हिसाब के लिए रमजान ही का महीना रखें और जो लोग ज़कात के मुस्तहिक हैं उन तक ज़कात की रक़म पहुंचाएं, तथा प्रयास करें कि ज़कात से अधिक जो हो सके उससे ग़रीबों की मदद करें दीनी मदरसों की मदद पर खर्च करें प्रयास कर के रोज़ेदारों को इफ़्तार करा कर अल्लाह को राज़ी करें, यह सारे काम संयम के प्रशिक्षण ही के हैं।

फिर देखिए खूब प्यास लगी है ठण्डा पानी उपलब्ध है परन्तु नहीं पीते, कि इससे रोज़ा टूट जाएगा भूख लगी है खाना उपलब्ध है परन्तु नहीं खाते कि रोज़ा टूट जाएगा और अल्लाह की अवज्ञा होगी यह संयम का प्रशिक्षण ही तो है।

तात्पर्य यह कि रोज़े की हालत में हम बुरी बातों से बचते हैं और भले कामों को अपनाते हैं और पूरे एक मास तक हम इस अभ्यास को दोहराते हैं हम स्वयं सोचें, हमारे वतनी भाई भी ध्यान दें कि इस एक मास के अभ्यास का रोज़ेदार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या एक रोज़ेदार इस प्रशिक्षण के पश्चात उत्पाती तथा उपद्रवी और आतंकी हो सकता है? कदापि नहीं अपितु इस प्रशिक्षण के पश्चात वह समाज में शांति लाने वाला मानवता का वाहक तथा मानवता का प्रसारक होगा।

❖❖❖

सच्चा जीवन समाज पर प्रभावकारी होता है

—मौलाना सय्यिद मुहम्मद हम्ज़ा हसनी नदवी

इस्लाम में लज्जा का बड़ा महत्व है और इसका इतना महत्व है कि हर भलाई और हर उपकार का लज्जा से संबंध है कि लज्जा ईमान का भाग है अल्ला तआला का लिहाज़ (सम्मान तथा हर दशा में उस का ध्यान) सब से उत्तम वस्तु है, हर बात तथा हर काम में अल्लाह तआला का लिहाज़ हर मनुष्य के लिए आवश्यक है इस में नर नारी दोनों बराबर हैं जो जितना अल्लाह तआला का लिहाज़ करेगा वह उतना ही आगे बढ़ेगा अल्लाह तआला का लिहाज़ अक़ीदे में (विश्वास में) भी है और अमल (कर्म) में भी है, इस का दूसरा नाम तक़्वा (संयम) है तक्वा रखने वाले तथा सावधानी से जीवन बिताने वाले संयमी पुरुषों तथा स्त्रियों दोनों के लिए अल्लाह तआला ने बड़े प्रतिफलों के वचन दिए हैं अगर हम को अल्लाह के दिए हुए उन वचनों (वादों) का अधिकारी बनना है तो हम को हर बात में तथा हर काम में अल्लाह का लिहाज़ (ध्यान तथा सम्मान) रखना होगा और जीवन बिताने के जो इस्लामिक नियम हैं उन नियमों के साथ जीवन बिताना होगा उन नियमों में चिल्ला कर न बोलना, शरीर को उचित वस्त्रों से ढ़कना, अकारण चित्र खिंचवाने तथा चित्र रखने से बचना, खाने पीने और रहन सहन में दूसरों का ख़्याल अर्थात दूसरों को कष्ट न पहुंचाना, हर बात तथा हर काम में अवैध बातों से बचना, छोटों पर कृपा की दृष्टि, बड़ों का उचित सम्मान और दीनी बातों का ख़्याल अर्थात हमारी कोई बात तथा हमारा कोई काम दीन (इस्लामिक धर्म) के विरुध न हो अल्लाह तआला ने हमारे लिए अपनी पवित्र वाणी अर्थात पवित्र कुर्आन को उतारा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मेराज में बुला कर हम पर पचास वक्तों की नमाज़ें अनिवार्य की फिर अपनी कृपा से हम सब पर पचास के स्थान पर पांच नमाज़ें कर दीं और उन का सवाब (प्रतिफल) पचास के बराबर ही रखा फिर भी हम नमाज़ों में शिथिलता तथा कोताही बरतें और पवित्र कुर्आन की तिलावत न करें तो हम कितने बदनसीब हैं अल्लाह तआला ने इस धरती पर अपने घर के समान काबे (कअ़बे) को दिया अर्थात काबे को अपना घर बताया फिर उस को हमारे लिए किबला (वह घर जिस की ओर मुख कर के नमाज़ पढ़ी जाए) बनाया और उस का तवाफ (परिक्रमा) करने का आदेश दिया यह काबा मक्का नगर में है, आज हम जो कुछ हैं और इस संसार में हमारा जो मूल्य है और जो सम्मान है वह सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के उपकारों का परिणाम है फिर भी हम अल्लाह के नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ने में कोताही करें और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से जैसा प्रेम

शेष पृष्ठ....30 पर

ये दिन ईद का है —इदारा

उठो मोमिनों शुक्र रब का करो—सलाम अपने प्यारे नबी पर पढ़ो
ये दिन ईद का है सवेरे उठो—हाजतों से तुम अपनी फ़राग़त करो
जहां चाहो घर या कि मस्जिद में तुम—वुज़ू कर के दो सुन्नतें अब पढ़ो
मगर याद रखो कि फ़र्ज़ों को तुम—जमाअ़त से मस्जिद में जा कर पढ़ो
मांगो मांगो कि वह आज देने पे है—ख़ैर दुन्या व उक़्बा का सब मांग लो
आफ़ियत मांगो दुन्या में सब के लिए—अम्न अपने वतन के लिए मांग लो
जो फ़ारिग़ हो मस्जिद से घर आओ तुम—नहाने की सुन्नत अदा अब करो
वुज़ू और मिस्वाक भूलो नहीं—पहन कर लिबास अच्छे, खुश्बू मलो
मिले जो भी उस को करो तुम सलाम—करो नाश्ता मुंह को मीठा करो
अगर फ़ित्रा वाजिब है तुम पर सुनो—ग़रीबों का हक़ यह अदा तुम करो
अगर दे दिया उस को रमज़ान में—तो अच्छा किया शुक्र रब का करो
मुसल्ले की जानिब चलो शौक़ से—अगर हो ज़रूरत वुज़ू फिर करो
जो हो रास्ते में मुसल्ले के तुम—तो तकबीर सिर्री ज़ुबां से पढ़ो
जमाअ़त से वां तुम दोगाना पढ़ो—वहीं बैठ कर दोनों खुत्बे सुनो
रास्ता वापसी का बदल गर सको—तो सुन्नत है इस पर अमल तुम करो
दअ़वतें ख़ूब खाओ खिलाओ कि आज—दे रहा है ख़ुदा उससे इन्आ़म लो
मनाओ ख़ुशी ख़ूब है आज ईद—मगर हो के बेख़ुद गुनह मत करो
पढ़ो तुम नबी पर दुरूदो सलाम—करो नेकियां रब को राज़ी करो

———

आपके प्रश्नों के उत्तर

—मुफ़्ती ज़फर आलम नदवी

प्रश्न: रमज़ान के रोज़ों की नीयत का क्या हुक्म है?

उत्तर: रमज़ान के रोज़ों की नीयत फर्ज़ है बगैर नीयत के रोज़ा नहीं होगा अगर किसी ने रमज़ान में सुब्हे सादिक से गुरुब आफताब तक कुछ खाया पिया नहीं लेकिन रोज़े की नीयत नहीं की थी तो उसका रोज़ा न होगा।

प्रश्न: रमज़ान के रोज़े की नीयत कब करना चाहिए?

उत्तर: रमज़ान के हर रोज़े की नीयत रात ही में कर लेना चाहिए अगर रात में नीयत नहीं कर सका तो दिन में जवाल से पहले तक नीयत कर ले तो नीयत हो जाएगी। मगर जवाल के बाद नीयत की तो नीयत सही नहीं होगी।

प्रश्न: रमज़ान के रोजे की नीयत किस तरह करनी चाहिए?

उत्तर: रमज़ान के रोज़े की नीयत दिल में इरादा करने से हो जाती है रात में दिल में इरादा करें कि मैं सुब्ह को रोज़ा रखूंगा या सुब्ह को दोपहर से पहले नीयत करे कि मैं आज रोज़ा रखूंगा तो नीयत हो जाएगी, अगर ज़बान से कहना चाहे तो रात में कहे कि मैं सुब्ह को रोज़ा रखूंगा या सुब्ह को ज़बान से कहे कि मैं आज रोज़ा रखूंगा मगर याद रहे ज़बान से कहना जरूरी नहीं दिल में इरादा जरूरी है, अगर कोई शख्स रोज़ा रखने के लिए सहरी खाए तो सहरी खाने से रोज़े की नीयत हो जाएगी।

प्रश्न: अगर कोई पहली रमज़ान की रात में पूरे रमज़ान के रोज़ों की नीयत करे तो यह नीयत सही होगी या नहीं?

उत्तर: रमज़ान के हर रोज़े की नीयत उस की रात या सुब्ह को दोपहर से पहले तक करना जरूरी है एक साथ पूरे रमज़ान के रोज़ों की नीयत करना सही न होगी। इसी तरह एक से ज़ियादा जैसे दो तीन रोज़ों की नीयत भी एक साथ की जाए तो सही न होगी।

प्रश्न: अगर कोई जालिम किसी रोज़ेदार के मुंह में जबरदस्ती कोई चीज़ डाल दे और वह हल्क़ के नीचे उतर जाए तो इस का क्या हुक्म है?

उत्तर: अगर कोई शख्स कोई चीज़ ज़बरदस्ती रोज़ेदार के मुंह में डाल दे और वह हलक़ के नीचे उतर जाए तो रोज़ा टूट जाएगा, रोजेदार को उस रोज़े की क़ज़ा करनी होगी और रोज़ेदार गुनहगार न होगा।

प्रश्न: वुज़ू में कुल्ली करते वक्त इरादे के बगैर हलक में पानी चला जाए तो उस का क्या हुक्म है?

उत्तर: रोज़ा टूट जाएगा और रोज़े की कज़ा करना होगी।

प्रश्न: क्या कै हो जाने से रोज़ा टूट जाता है?

उत्तर: खुद से कै हो जाने से रोज़ा नहीं टूटता चाहे कम हो चाहे ज़ियादा लेकिन कै का अगर कोई भी हिस्सा वापस निगल लिया तो रोज़ा टूट जाएगा और रोज़े की क़ज़ा करना पड़ेगी, अलबत्ता अगर क़स्दन कै करे और जरा सी कै हो तो रोज़ा न टूटेगा लेकिन अगर मुंह भर

के कै की तो रोज़ा टूट जाएगा और उसकी कजा करना होगी।

प्रश्न: इन्हेलर खींचने से रोज़ा टूटेगा या नहीं?

उत्तर: इन्हेलर चाहे नाक वाला हो और उसे नाक से खींचें या मुंह वाला हो और मुंह से खींचे इन्हेलर में दवा होती है इसलिए दोनों सूरतों में रोज़ा टूट जाएगा और रोज़े की क़ज़ा करना होगी।

प्रश्न: अगर रोज़ेदार नीम की पत्ती चबा कर निगल जाए तो उस का क्या हुक्म है?

उत्तर: जो चीज़ें खाई नहीं जाती हैं जैसे किसी दरख्त की पत्ती, कागज कंकरी वगैरा उन के निगल जाने से रोज़ा टूट जाएगा और रोज़े की क़ज़ा करना होगी।

प्रश्न: सहरी में खाना खाया और कुल्ली भी की मगर दांतों के बीच में खाने का कोई हिस्सा फंसा रह गया, सुब्ह को ख़िलाल किया तो वह हिस्सा निकला और हलक़ के नीचे उतर गया ऐसी सूरत में क्या हुक्म है?

उत्तर: सुब्ह को रोज़ेदार दांतों में खिलाल करे और दांतों के बीच से खाने का कोई हिस्सा निकले और वह हलक़ के नीचे उतर जाए तो अगर यह खाने का हिस्सा आम चने से छोटा है तो रोज़ा बाकी रहेगा लेकिन अगर वह खाने का टुकड़ा चने के बराबर हो या उससे बड़ा हो और वह हलक़ के नीचे उतर गया तो रोज़ा टूट गया और उसकी क़ज़ा लाजिम होगी।

प्रश्न: कान में तेल या दवा या पानी डालेने से रोज़ा टूटता है या नहीं?

उत्तर: कान में तेल या दवा डालने से रोज़ा टूट जाता है और रोज़े की कज़ा लाजिम आती है लेकिन कान में पानी डालने से रोज़ा नहीं टूटता मगर रोज़ेदार को चाहिए कि कान में पानी भी न डाले।

प्रश्न: रोज़े का कफ्फारा कब लाज़िम आता है?

उत्तर: रमज़ान का रोज़ा कस्दन खा पी कर या औरत से मिलाप कर के तोड़ देने से क़ज़ा और कफ़्फ़ारा दोनों लाज़िम आते हैं।

प्रश्न: रमज़ान के रोज़े का कफ़्फ़ारा किस तरह अदा किया जाता है? समझा कर लिखिए।

उत्तर: पहली बात तो यह कि कस्दन रोज़ा तोड़ने पर कफ़्फ़ारा भी है और क़ज़ा भी इसलिए पहले रोज़े की क़ज़ा का रोज़ा रखे फिर कफ्फारे के साठ रोजे मुसलसल रखे बीच में अगर एक दिन का भी रोज़ा छूट गया चाहे जिस सबब से छूटा हो तो फिर से साठ रोज़े मुसलसल पूरे करना होंगे इस लिए कफ़्फ़ारे के रोज़े ज़ीक़अ़दा (जीकादा) के महीने में शुरु न किए जाएं इस लिए कि ईदुलअज़्हा में चार दिनों का नागा हो जाएगा, अलबत्ता औरत को अगर बीच में हैज की वजह से नागे करने पड़ेंगे तो वह मुआफ़ हैं लेकिन हैज ख़त्म होते ही एक दिन का भी नागा किए बगैर रोज़े रखना शुरु कर दे और साठ रोज़े पूरे करे एक कफ़्फ़ारे की अदाएगी में उमूमन दो बार हैज़ से नागे हो जाते हैं।

अगर कोई शख्स साठ रोज़े मुसलसल नहीं रख सकता तो एक रोज़ा क़जा वाला रखे और साठ रोज़े के बदले में साठ मिस्कीनों को दोनों वक्त पेट भर के खाना खिलाए या साठ मिस्कीनों को अलग अलग हर एक को एक किलो 600 ग्राम गेहूं या उसकी कीमत अदा करे एक मिस्कीन को 1600 ग्राम गेहूं से ज़ियादा देना दुरुस्त न होगा अलबत्ता एक मिस्कीन

को रोज़ाना 1600 ग्राम या उस की कीमत अदा की जाए और साठ दिनों में उस को पूरा करें तो कफ़्फ़ारा अदा हो जाएगा।

प्रश्न: अगर कोई बदबख्त रमज़ान के कई रोज़े कस्दन तोड़ डाले तो क्या उस को हर रोज़े का कफ़्फ़ारा अलग अलग देना होगा?

उत्तर: अगर किसी ने एक रमज़ान के कई रोज़े कस्दन तोड़ डाले हैं तो उस पर एक ही कफ्फ़ारा लाजिम आएगा अलबत्ता जितने रोज़े तोड़े हैं उनकी कज़ा भी जरूरी होगी।

प्रश्न: जो बूढ़ा आदमी रोज़ा रखने की ताक़त न रखता हो उसके लिए रमज़ान के रोज़ों के बारे में क्या हुक्म है?

उत्तर: ऐसा बूढ़ा आदमी जो रोज़े रखने की ताकत नहीं रखता और वह इतनी इस्तिताअ़त रखता है कि रोज़ों का फिद्या दे सके तो वह हर रोज़े के बदले में किसी ग़रीब (मिस्कीन) मुसलमान को दोनों वक्त पेट भर के खाना खिलाए या हर रोज़े के बदले में एक किलो 600 ग्राम (1600 ग्राम) गेहूं या उसकी कीमत मुस्लिम मिस्कीन को दे लेकिन ऐसा बूढ़ा जो रोज़े की ताक़त भी नहीं रखता है और फिदया देने की इस्तिताअ़त भी नहीं रखता है अल्लाह तआ़ला उसको मुआफ़ फरमाएंगे।

प्रश्न: ज़क़ात कितने माल पर फर्ज़ है?

उत्तर: ज़क़ात हर उस आक़िल बालिग मुसलमान पर फर्ज़ है जो निसाब का मालिक हो निसाब में चांदी और सोने को मेयार बनाया गया है, जिसके पास दो सौ दिरहम अर्थात 612 ग्राम 282 मिली ग्राम चांदी हो या इतनी चांदी खरीदने के पैसे हों उसको निसाब का मालिक (साहिबे निसाब) कहेंगे। अगर उसके पास चांदी बिल्कुल नहीं है और सिर्फ सोना बीस मिस्काल अर्था 87 ग्राम 470 मिली ग्राम या उससे ज़ियादा है वह भी साहिबे निसाब है।

अगर किसी के पास चांदी भी है और सोना भी मगर दोनों निसाब से कम वजन में है तो दोनो की कीमतों का अन्दाजा लगा कर अगर उस की मजमूई कीमत से 612 ग्राम 282 मिली ग्राम चांदी खरीदी जा सकती है तो वह भी साहिबे निसाब है और उस पर ज़क़ात फर्ज है।

साहिबे निसाब के माल पर जब साल गुज़र जाए तो वह अपने माल का चालीसवां हिस्सा यानी ढ़ाई फीसद निकाल कर गरीब मुसलमान (जो साहिब निसाब न हों) को दे।

साहिबे निसाब जब तक साहिबे निसाब रहेगा उस को हर साल इसी तरह ज़क़ात निकालना होगी उसे चाहिए कि साल में कोई एक महीना ज़क़ात के हिसाब के लिए मुकर्रर कर ले और बेहतर होगा कि रमज़ान के महीने में अपने माल की ज़क़ात का हिसाब किया करे।

याद रहे सय्यिदों को ज़क़ात नही दी जा सकती चाहे वह मिस्कीन ही क्यों न हों उन की मदद दूसरे माल से करना चाहिए इसी तरह अपने बाप, दादा, नाना, मां, दादी नानी और अपनी औलाद को भी ज़क़ात नहीं दे सकते, गरीब चाचा, चाची, फूफा, फूफी, मामू, मुमानी, खालू, खाला बीवी की मां बाप अपने ग़रीब भाई बहन को ज़क़ात दे सकते हैं गैर मुस्लिम को भी ज़क़ात नहीं दे सकते हैं। उनकी मदद दूसरे माल से करना चाहिए। ◆◇◆

मित्रता तथा शत्रुता केवल अल्लाह के लिए

—मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद तकी उस्मानी

—हिन्दी इम्लाः हुसैन अहमद

अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का प्रसिद्ध कथन है कि "यदि मैं इस संसार में किसी को अपना (जिगरी तथा सच्चा) मित्र बनाता तो अबू बक्र रज़ि0 को बनाता" तात्पर्य यह कि अबू बक्र को भी अपना खलील (सच्चा मित्र) न बनाया कारण यह कि इस संसार में वास्तविक मित्र बनाने योग्य कोई नहीं है, वास्तविक तथा सच्ची मित्रता केवल अल्लाह से होनी चाहिए इस लिए कि ऐसी मित्रता जो मनुष्य के हृदय पर अपना ऐसा अधिकार जमा ले कि वह जो कहे वही करे तथा मनुष्य का हृदय उस का वशीभूत हो जाए ऐसी मित्रता अल्लाह के अतिरिक्त किसी और से उचित नहीं।

अलबत्ता इस संसार में किसी से जो मित्रता होगी वह अल्लाह से प्रेम के अधीन होगी एवं सांसारिक मित्र की हर बात न मानी जाएगी, उसके कहने से पाप न किया जाएगा, मित्र की मदद में पाप तथा अल्लाह की अवज्ञा न होगी अतः पहली बात तो यह है कि इस संसार में हर प्रकार की मित्रता अल्लाह तआला की महब्बत (प्रेम) और मित्रता के अधीन होनी चाहिए, दूसरी बात यह है कि इस संसार में ऐसा दोस्त मिलता ही कहां है जिस की दोस्ती अल्लाह की दोस्ती की वशीभूत हो ढूंढने और खोजने पर भी ऐसा मित्र नहीं मिलता जिस को वास्तव में मित्र कह सकें और जिस की मित्रता अल्लाह की मित्रता के अधीन हो तथा वह कठोर परीक्षा के समय पक्का उतरे ऐसा मित्र बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है, भागयवान ही को ऐसा मित्र प्राप्त होता है मेरे पिता मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ीअ़ रह0 के सामने जब मेरे बड़े भाई साहिबान आपने मित्रों का वर्णन करते तो पिता जी कहते कि तुम्हारे इस संसार में बहुत से मित्र हैं मैं साठ वर्ष का हो चुका हूं मुझे तो इस संसार में कोई सच्चा मित्र न मिल सका इस पूरी आयु में केवल डेढ़ मित्र मिल सके एक पूरा दूसरा आधा (मौलाना ने अपने डेढ दोस्तों को खोला नहीं) परन्तु तुम लोगों को बहुत से मित्र मिल जाते हैं मित्रता के मापदण्ड पर पूरा उतरने वाला वह होता है जो कठिन परीक्षाओं में पक्का और खरा उतरे ऐसे मित्र बहुत कम मिलते हैं।

अतः यदि किसी को अल्लाह की मित्रता के अधीन मित्र बनाओ तो उस मित्रता में भी इस का प्रबन्ध करो कि उस मित्रता में अल्लाह की निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन न हो यह दोस्ती सीमाबद्ध हो ऐसा न हो कि सुब्ह से शाम तक मित्र ही के साथ लगे रहें, खाना पीना भी उसी के

साथ हो, भेद की बातें भी उस से कही जाएं अपितु अपनी हर बात उस पर जाहिर की जाए लेकिन अगर कल को उस से मित्रता न रहे तो तुम ने अपने सारे भेद उस पर खोल दिए हैं अब वह मित्र तुम्हारे सब भेद हर स्थान पर उछालेगा और वह तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध होगा। अतः मित्रता संतुलन के साथ होना चाहिए यह न हो कि आदमी मित्रता में उसकी सीमाओं के पार चला जाए।

आज कल हमारे यहां जो राजनीतिक वातावरण है उस की दशा यह है कि अगर किसी राजनीतिक लीडर से संबंध हो गया और वह संबंध कुछ बढ़ गया तो उस को इस प्रकार बांस पर चढ़ाते हैं कि उस में अब कोई दोष नज़र नहीं आता और अगर कोई दूसरा व्यक्ति उस लीडर का कोई दोष बताए तो वह स्वीकार नहीं होता अपितु बुरा लगता है तथा उस लीडर के विषय में यह मान लिया जाता है कि वह पाप रहित है परन्तु उसी से जब राजनीतिक शत्रुता हो जाती है तो उस में कोई भलाई दृष्टिगोचर नहीं होती, दोनों रूपों में सीमाओं का उल्लंघन है इस प्रकार की मित्रता से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रोका है मैंने बार बार कहा है कि केवल नमाज़ व रोज़े का नाम दीन नहीं है, नमाज़ और रोज़ा भी दीन में अनिवार्य हैं परन्तु यह भी दीन का भाग है कि किसी से प्रेम करो तो संतुलन के साथ प्रेम करो और यदि किसी से शत्रुता हो तो उस में भी संतुलन हो जो अल्लाह के बन्दे हैं वह इन बातों को समझते हैं, यह शासक और राजनीतिक लीडर तथा नेता इन से भी संतुलित संबंध होना चाहिए यह न हो कि जब उन से संबंध हो गया तो उन से संबंध में सीमाओं का उल्लंघन होने लगे अतः मित्रता तथा शत्रुता इस नीयत के साथ हो कि मित्रता अल्लाह के लिए हो तथा शत्रुता अल्लाह के लिए हो।

नोटः– इस लेख के आरंभ में जो हदीस आई है वह एक बड़ी हदीस का टुकड़ा है इस में ख़लील का अनुवाद सच्ची मित्रता से किया गया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया अनुवादः "अगर मैं किसी को ख़लील बनाता तो अबू बक्र को खलील बनाता" इन शब्दों से यह धोखा न होना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत अबू बक्र को मित्र नहीं बनाया, वास्तव में शब्द "ख़लील पवित्र कुर्आन में एक विशेष मित्रता को दर्शाता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इस विशेष मित्रता को केवल अल्लाह के लिए विशिष्ट रखते हैं अन्यथा हज़रत अबू बक्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को प्रिय थे, यारेगार थे, उल्लेखित हदीस के आगे पीछे के शब्दों से भी यह बात स्पष्ट हो जाती है, हम यहां हदीस के आगे पीछे के शब्दों के साथ हदीस का उल्लेख कर रहे हैं ताकि कोई भ्रान्ति में न पड़े"।

शेष पृष्ठ.....38 पर

धैर्य तथा दीन पर स्थिरता अपनाने की आवश्यकता

—मौलाना सय्यिद मुहम्मद हमजा हसनी नदवी

इस समय देश की परिस्थितियों में मुसलमानों के लिए जो परिस्थितियां हैं वह बड़ी ही चिन्तनीय हैं प्रतिदिन नवीन समस्याएं उत्पन्न की जा रही हैं, चाहे शिक्षा संबन्धित बातें हों या उसका संबंध राजनीति से हो, या धर्म से।

समस्त संसार में इस समय मुसलमान अपने विरोधियों के निशाने पर हैं जिस का प्रभाव हमारे देश पर भी है इस्लाम विरोधी इन परिस्थितियों का लाभ उठा कर मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं कि मुसलमानों को हर ओर से दबाव में ले कर अपने अधिकार में कर लें तथा उन को मांसिक तथा क्रियात्मक दशा में पराजय प्राप्त समुदाय बना दें।

अतः विद्यमान परिस्थिति का अवलोकन कर के हम लोगों को अपने दीन, अपनी सभ्यता तथा अपनी शैक्षणिक विशेषताओं की सुरक्षा हेतु अग्रसर होना चाहिए तथा इस बात का विश्वास अपने अन्दर पैदा करना चाहिए कि अगर इस्लामी गुणों से अपने को सुसज्जित कर लिया तो संसार की कोई शक्ति हम को पराजित नहीं कर सकती और विजय हमारा भाग्य होगा।

लेकिन अगर (खुदा न करे) हम ने इस्लाम को पूरी तरह न अपनाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अनुकरण से मुंह मोड़ लिया तो निश्चय ही विनाश तथा पतन हमारे भाग्य में आएंगे और कुफ्र व बातिल (नास्तिकता तथा अधर्म) की आँधी के समक्ष हम ठहर न पाएंगे।

याद रखिए इस्लाम और मुसलमानों के विरोध में नास्तिकता की कठोर आंधियां पहले भी आई हैं उस समय ऐसा लगता था कि यह नास्तिकता की कठोर आंधियां इस्लाम और मुसलमानों का नाम व निशान मिटा देंगी परन्तु मुसलमानों की दीन पर दृढ़ता, धैर्य तथा स्थिरता के सामने चकनाचूर हो गये और अल्लाह तआला की मदद से मुसलमान सफल हुए तथा इस्लाम अधिक दृढ़ हुआ।

❖❖❖

सच्चा जीवन समाज.....

रखना चाहिए और आप का जैसा अनुकरण करना चाहिए वैसा प्रेम न रखें तो हम कितने बदनसीब (कर्महीन) हैं, यह सब इस लिए है कि हमारे अन्दर धार्मिक लज्जा तथा अल्लाह के लिहाज़ की कमी है, यदि हम में वास्तविक लज्जा होती, अल्लाह का लिहाज़ (ध्यान तथा सम्मान) होता तो हमारी जीवनी जैसी है उस से कहीं उच्च होती और हमारे द्वारा एक अच्छे से अच्छा समाज का निर्माण होता, आइये प्रण करें कि अपने जीवन को स्वच्छ से स्वच्छ बनाएंगे और समाज को अपने चरित्र से प्रभावित करेंगे। ◆◇◆

तीन महत्वपूर्ण सीमाओं पर काम करने की आवश्यकता

—हज़रत मौलाना सय्यिद मुहम्मद राबे हसनी नदवी

हमें इस देश में इन बातों को अपनाने की बड़ी आवश्यकता है कि हमारे देश वासियों में जो हमारे विषय में भ्रान्तियां उत्पन्न हो गई हैं वह दूर हों तथा इस्लाम को शान्ति मय तथा कल्याणकारी धर्म समझा जाए और ऐसे मानव समाज का निर्माण किया जाए जिस में हर व्यक्ति को शान्ति तथा सुख चैन प्राप्त हो और मुसलमान मानवता के आदर्श और शान्ति के मार्ग दर्शक समझे जाएं इसके लिए आधारित तीन सीमाओं पर काम करने की आवश्यकता है।

1. मुसलमान अपने आचरण तथा जीवन चरित्र को इस्लामी ढांचे में ढालने की ओर ध्यान दें अर्थात सच्चे पक्के मुसलमान बनें

2. मुसलमानों के विषय में जो गैर मुस्लिमों में भ्रांततियां उत्पन्न हो गई हैं अर्थात गलत फहमियां पैदा हो गई हैं उन को दूर करने की विधियां तथा उपाय अपनाएं।

3. मीडिया का साधन जिस को संसार, संसार के विनाश के लिए प्रयोग कर रहा है हम उसको मानवता तथा मानव के चरित्र को ऊँचाई तक ले जाने के लिए प्रयोग करें।

इन तीनों साधनों पर हम ध्यान देंगे और शुद्धता के साथ इन पर काम करेंगे तो हमारे विषय में जो भ्रान्तियां उत्पन्न हो गई हैं और दुर्भावनाएं पैदा हो गई हैं वह भली भावनाओं से बदल जाएंगी अर्थात लोग हम को आदर्श मनुष्य समझने लगेंगे फिर हम शान्ति तथा सुख चैन के साथ जीवन बिता सकेंगे। ◆◆

आल इण्डिया मुस्लिम प्रसनल ला बोर्ड के मजलिसे आ़मिला की मीटिंग में मंजूर तजावीज़

इस्लाहे मुआ़शरा व इस्लाहे मिल्लत के लिए 18 निकाती तजावीज़

मुसलमानों को पाबन्द करने और उन्हें वाकिफ कराने के लिए अइम-मए-मसाजिद और मिल्ली व समाजी तन्ज़ीमों से अपने अपने हल्कों में काम करने की उलमा की अपील

दारुल उलूम नदवतुल उलमा में दो रोज़ा आल इण्डिया मुस्लिम प्रसनल ला बोर्ड की मजलिसे आ़मिला (कार्यकारिणी समिति) की मीटिंग के बाद बोर्ड ने इस्लाहे मुआशरा और इस्लाहे मिल्लत के लिए 18 निकाती तजावीज़ (कोड ऑफ कन्डक्ट) जारी कीं, और इस पर अमल दरआमद (व्यवहार) के लिए मुसलमानों को पाबन्द करने और उन्हें वाकिफ़ (अवगत) कराने के लिए अइम्—मए—मसाजिद और मिल्ली व समाजी तन्ज़ीमों (संगठनों) से अपने अपने हल्क़ों में काम करने की अपील की एवं ख्वातीन के मसाइल के लिए बोर्ड की खवातीन (स्त्रियों) से राबिता (सम्पर्क) करने और बाहमी मुआमलों (पारस्परिक समस्याओं) के तस्फिये के लिए दारुल कज़ा से रुजुअ़ करने और कुर्आन व हदीस की रौशनी में इस्लामी तालीम के मुताबिक़ अमल कराने पर ज़ोर दिया गया।

1. आल इण्डिया मुस्लिम प्रसनल लॉ बोर्ड की मजलिसे आमिला का यह जल्सा मुत्तफ़क़ा तौर पर (सर्व सहमति से) हिन्दोस्तानी मुसलमानों से तवक़्क़ो करता है कि वह तलाक़ की बाबत शरीअ़ते इस्लामी पर अमल करने को यक़ीनी बनाएंगे।

2. इस्लामी शरीअ़त की नज़र में निकाह एक मुस्तक़िल और पाइदार रिश्ता है, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि मियां बीवी के दरमियान आपसी इख़्तिलाफ़ात (मतभेद) इस क़दर शदीद (कठोर) हो जाते हैं कि निबाह मुम्किन नहीं होता, ऐसी सूरत में दोनों का एक दूसरे से जुदा होना ही बेहतर और मुफ़ीद (लाभदायक) होता है इसके लिए इस्लामी शरीअ़त ने जो तरीक़ा बताया है उस में एक तरीक़ा तलाक़ है, लेकिन तलाक़ देने से पहले आपस के तअल्लुक़ात को उस्तवार करने के लिए हर मुम्किन कोशिश और तदबीर करनी चाहिए, तलाक़ के सिलसिले में दर्ज ज़ैल हिदायात पर अमल किया जाए।

3. अगर शौहर व बीवी में इख़्तिलाफ़ात पैदा हो जाएं तो पहले वह खुद आपसी तौर पर इन इख़्तिलाफात को खत्म करने की कोशिश करें और दोनों इस बात को सामने रखें कि हर इंसान में कुछ कमजोरियां होती हैं और बहुत सी खूबियां होती हैं लिहाज़ा शरीअ़त की रिवायात के मुताबिक एक दूसरे की ग़लतियों को दर गुज़र करने की कोशिश करनी चाहिए।

4. अगर इस तरह बात न बने तो आरज़ी तौर पर ताअल्लुक़ तोड़ा जा सकता है।

5. अगर दोनों तरीके नाकाम हो जाएं तो दोनों खान्दान के बाशऊर (बुद्धिमान) अफराद मिल कर मुसालहत की कोशिश करें, या दोनों की तरफ से एक एक सालिस (मध्यस्थ) मुकर्रर कर के इख्तिलाफात को खत्म करने की कोशिश की जाए।

6. अगर इसके बावजूद बात न बने तो बीवी को पाकी की हालत में शौहर एक तलाक़ दे कर छोड़ दे, यहां तक कि अय्यामे इद्दत गुज़र जाएं, इद्दत के दौरान अगर मुराफ़क़त (मेल) पैदा हो जाए तो शौहर रुजुअ़ कर ले और फिर दोनों मियां बीवी की तरह ज़िन्दगी गुज़ारें, अगर इद्दत के दौरान शौहर ने रुजुअ़ नहीं किया तो इद्दत के बाद खुद ही निकाह का रिश्ता खत्म हो जाएगा और दोनों नई ज़िन्दगी शुरु करने के लिए आज़ाद और खुद मुख्तार होंगे, अगर बीवी उस वक्त हामिला होगी तो इद्दत की मुद्दत हम्ल खत्म होने तक जारी रहेगी, तलाक़ देने की सूरत में शौहर को इद्दत का खर्च देना होगा और महर बाकी हो तो वह भी फौरन अदा करना होगा, अगर इद्दत के बाद मुसालहत हो जाए तो बाहमी रज़ामन्दी से नए महर के साथ दोनों नये निकाह के जरिए अपने रिश्ते को बहाल कर सकते हैं।

7. दूसरी सूरत यह है कि बीवी की पाकी की हालत में शौहर उसको एक तलाक़ दे फिर दूसरे माह दूसरी तलाक दे तीसरे माह तीसरी तलाक़ से पहले मुसालहत हो जाए तो शौहर रुजुअ़ करे ले और साबिक़ा रिश–तए–निकाह बहाल कर ले।

8. अगर बीवी शौहर के साथ रहना नहीं चाहती है तो वह खुलअ़ के जरीये इस रिश्ते को खत्म कर सकती है।

9. मुस्लिम समाज को चाहिए कि जो शख़्स बिला शरई उज्र के एक साथ तीन तलाक़ दे उस का समाजी बाईकाट करे, ताकि ऐसे वाकिआ़त कम से कम हों।

10. बाबरी मस्जिद मिलकीयत मुआमले में सुप्रिम कोर्ट का फैसला ही क़ाबिले क़बूल है उस के लिए इन्तिजार किया जाना चाहिए।

11. शादी में खर्च कम किया जाए।

12. बच्चों को आला तालीम दिलाई जाए।

13. तलाक़ से मुतअस्सिरा (प्रभावित) खातून की बोर्ड हर मुम्किन मदद करेगा, मुस्लिम तन्ज़ीमों से भी अपील है कि वह ऐसी खवातीन की मदद करें।

14. वालिदैन लड़कियों को जहेज़ के बजाए जाइदाद में हिस्सा दें।

15 दारुल क़ज़ा काइम किए जाएं।

16. ब्रोर्ड की खातून विंग शुरु की गई है और उसकी हेल्प लाइन खवातीन की काउंस्लिंग और मदद कर रही है।

17. सोशल मीडिया के इस्तेमाल से लोगों को वाकिफ कराया जाए।

18. मुसलमान खिदमते ख़ल्क़ के जरीये मुआशरे की इस्लाह व खिदमत के लिए आगे आएं।

(राष्ट्री सहारा उर्दू 18.4.2017 से ग्रहीत)

❖❖❖

रोजों की अहम्मीयत व फर्जीयत

—मौलाना मुजीबुल्लाह नदवी रह0

पवित्र कुर्आन में आया है, अनुवादः *"ऐ मुसलमानों तुम्हारे ऊपर रोजे उसी तरह फर्ज किये गए हैं जिस तरह तुम से पहले दूसरी उम्मतों पर फर्ज किये गए थे ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ"। (अलबकराः 183)*

इससे मालूम होता है कि नमाज़ की तरह रोज़ों का हुक्म भी खुदा ने दूसरी उम्मतों को दिया था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पहले जितने नबी और रसूल दुन्या में गुजरे हैं उन सबने इसकी ताकीद की थी और इसे फर्ज़ करार दिया था अहले किताब के यहां रोज़ों का रवाज आज भी बाकी है उनके अलावा मुशरिक कौमों में (व्रत) का रवाज भी कुर्आन पाक की इस तारीखी शहादत पर यकीन के लिए काफी है सिर्फ जो फर्क है वह रोज़ों की तादाद और वक्तों में है, यह उम्मते मुस्लिमा की खुसूसियत है कि उस पर एक महीने के रोज़े फर्ज किए गए हैं।

रमज़ान के रोज़े कब फर्ज हुएः–

हिजरत के बाद सन् 2 हिज्री में यह आयत नाजिल हुई, अनुवादः *"रमज़ान का महीना जिसमें कुर्आन उतारा गया लोगों के मार्गदर्शन के लिए और मार्गदर्शन और सत्य– असत्य के अन्तर के प्रमाणों के साथ। अतः तुम में जो कोई इस महीने में मौजूद हो उसे चाहिए कि उस के रोज़े रखे और जो बीमार हो या सफ़र में हो तो दूसरे दिनों से गिनती पूरी कर ले। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, वह तुम्हारे साथ सख़्ती और कठिनाई नहीं चाहता, (वह तुम्हारे लिए आसानी पैदा कर रहा है) और चाहता है कि तुम संख्या पूरी कर लो और जो सीधा मार्ग तुम्हें दिखाया गया है उस पर अल्लाह की बड़ाई प्रकट करो ताकि तुम कृतज्ञ बनो। (अलबकराः 185)*

इस आयत के नाजिल होने पर रमज़ान के रोज़े फर्ज हुए।

हर आकिल बालिग मुस्लिम मर्द और औरत पर पूरे रमज़ान के महीने के रोज़े फर्ज हैं। इसकी फर्जीयत का इन्कार करने वाला काफिर और शरई उज़्र के बिना रोजा छोड़ने वाला फासिक है।

(इस्लामिक फिक्ह से ग्रहीत)

❖❖❖

तरावीह की नमाज़ और.....

डूबने से पहले एतिकाफ की नीयत से मस्जिद में दाखिल हो और मगरिब बाद रोज़े की भी नीयत करे इस तरह पूरी रात और पूरे दिन एतिकाफ में गुजारे और मगरिब पढ़ कर बाहर निकले इसी तरह अगर एक से ज़ियादा दिनों का एतिकाफ टूटा हो तो उन की क़ज़ा करे, याद रहे सुन्नत एतिकाफ की कज़ा रोजे के बगैर दुरुस्त नहीं इसलिए जिस दिन रोज़ा हराम है उस दिन सुन्नत एतिकाफ की कज़ा दुरुस्त नहीं, यह भी खूब याद रहे सुन्नत एतिकाफ का अगर रोज़ा टूट गया तो एतिकाफ भी टूट गया उसकी क़ज़ा लाजिम है।

बाज बड़े उलमा के नज़दीक अगर रमज़ान के अखीर अशरे का एतिकाफ़ किसी दिन छूट जाए तो पूरे अशरे के एतिकाफ की क़ज़ा लाजिम आती है।

इस लेख की तमाम जानकारियां दीन की मोतबर (मोअ़तबर) किताबों से ली गई हैं। ◆◆

इस्लाम में ज़क़ात की अहम्मीयत व फरज़ीयत

—मौलाना मुजीबुल्लाह नदवी रह0

जिसमानी इबादात में जिस तरह नमाज और रोज़े की कुर्आन व हदीस में बार—बार ताकीद आई है उसी तरह कुर्आन शरीफ में बीसियों जगह जिक्र है कि "नमाज़ काइम करो और ज़क़ात दिया करो"।

(अलबकराः 261)

कुर्आन में है कि जो लोग खुदा की राह में अपना माल खर्च करते हैं उन की मिसाल उस दाने की है जिस में सात बालियां निकलीं और हर एक बाली में सौ दाने हों गोया ज़क़ात के एक पैसे के बदले सात सौ नेकियां मिलती हैं। *"जो लोग लालच से सोना और चाँदी जमा करते हैं और उन को अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते तो ऐसे लोगों को एक बड़े दर्दनाक अजाब की खबर दे दीजिए"। (तौबाः 35)*

सहाबा को ख्याल हुआ कि शायद इस आयत में सारा माल अल्लाह की राह में खर्च कर देने का हुक्म है इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया अनुवादः *"खुदा ने ज़क़ात सिर्फ इसलिए फर्ज की है कि ज़क़ात अदा करने के बाद तुम्हारे पास जो माल बच जाए वह उस को पाक कर दे और जो कुछ बाकी रह जाए उस की वरासत जारी की है, यानी अगर सारा माल खर्च करा देना मक्सूद होता तो वरासत न जारी करता।*

ज़क़ात का हुक्मः—

हर उस आकिल बालिग मुसलमान पर ज़क़ात फर्ज है जो साहिबे निसाब (निसाब का मालिक) हो और उसके माल पर एक साल गुजर गया हो।

उसकी फर्जीयत का इन्कार करने वाला काफिर है और फर्ज समझते हुए ज़क़ात न अदा करने वाला फासिक और बड़ा गुनहगार है और इस्लामी हुकूमत में उसको सख्त सजा दी जाएगी जैसा कि हज़रत अबू बक्र रज़ि0 ने किया था।

निसाबः—

जिस के पास 200 दिरहम चांदी (52 तोला 6 माशा=612 ग्राम 282 मिली ग्राम) चांदी हो या इतनी चांदी खरीदने के नक्द पैसे हों वह साहिबे निसाब है। अगर चांदी बिल्कुल न हो और सोना 20 मिस्क़ाल (60 तोला 6 माशा=87 ग्राम 470 मिली ग्राम) हो तो वह भी साहिबे निसाब है, अगर किसी के पास 612 ग्राम से कम चाँदी हो मगर उसके पास कुछ सोना हो जो 87 ग्राम से कम हो तो दोनों की कीमत निकालेंगे और उस कीमत से अगर 612 ग्राम 282 मिली ग्राम चाँदी खरीदी जा सकती हो तो वह भी साहिबे निसाब है।

साहिबे निसाब पर हर साल ज़क़ात निकालना फर्ज है, ज़क़ात माल का चालीसवां हिस्सा यानी ढाई फीसद (प्रतिशत) निकाली जाती है।

ज़क़ात ग़रीब मुसलमानों का हक है।

(इस्लामिक फिक्ह से ग्रहीत)

❖❖❖

अल्लाह के नबियों के अपनी क़ौम को केवल अल्लाह की इबादत की दावत के कुछ उदाहरण

—इदारा

अल्लाह के अन्तिम नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर जो कुर्आन अल्लाह की ओर से उतरा वह केवल एक अल्लाह की इबादत की दावत से भरा पड़ा है, जैसे फ़रमाया "तुम्हारा पूज्य केवल एक है, उसके सिवा कोई पूज्य नहीं" (अलबक़रह:163) फरमाया: "अल्लाह तआला ऐसा है कि उस के सिवा कोई इबादत के क़ाबिल नहीं" (अल बकरह: 265) अपितु पवित्र कुर्आन में यहां तक आ गया है कि जो शिर्क कर के तौबा के बिना मर जायेगा उस की बख़शिश न होगी, फरमाया: "निःसंदेह अल्लाह तआला उस गुनाह को नहीं बखशेगा कि उसके साथ किसी को साझी ठहराया जाये और शिर्क के अलावा दूसरे गुनाहों को जिन को चाहेगा बखश देगा"। (अन्निसा: 48)

इसी प्रकार दूसरे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ने भी केवल एक अल्लाह की इबादत (उपासना) की दावत दी है हम यहां पवित्र कुर्आन से कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते है:

अल्लाह तआला ने हज़रत नूह अलै0 को उन की कौम की ओर भेजा ताकि वह क़ौम को अल्लाह की नाफ़रमानी पर अल्लाह के अजाब से डरायें, हज़रत नूह अलै0 ने कहा "यह कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की बन्दगी न करो। मुझे तुम्हारे विषय में एक दुखद दिन की यातना का भय है"।

(सूरतु हूद: 26)

अल्लाह तआला ने हज़रत इब्राहीम अलै0 को उनकी कौम की ओर भेजा उन्होंने अपनी कौम से कहा "अल्लाह की बन्दगी करो और उस का डर रखो। यह तुम्हारे लिए अच्छा है यदि तुम जानो"।

(अल—अनकबूत: 16)

और कुछ पैगम्बरों के उदाहरण सूरतुल हूद से प्रस्तुत हैं:—

अल्लाह ने "आद" कौम की ओर उनके भाई हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा उन्होंने अपनी कौम से कहा ऐ मेरी कौम के लोगो! अल्लाह की बन्दगी करो। उस के सिवा तुम्हारा कोई पूज्य नहीं। तुम ने तो बस झूठ गढ़ रखा है।

अल्लाह ने "समूद" कौम की ओर उन के भाई हज़रत सालेह अलै0 को भेजा उन्होंने अपनी क़ौम से कहा ऐ मेरी क़ौम के लोगो! अल्लाह की बन्दगी करो, उस के सिवा तुम्हारा कोई पूज्य नहीं। उसी ने तुम्हें धरती पे पैदा किया और उस में तुम्हें बसाया। अतः उस से क्षमा मांगो, फिर उसकी ओर पलट जाओ। निः संदेह मेरा रब निकट है, प्रार्थनाओं को स्वीकार करने वाला भी।

अल्लाह ने मदयन देश की ओर मदयन वालों के भाई हज़रत शुऐब अलै0 को भेजा उन्होंने अपनी क़ौम से कहा ऐ मेरी कौम के लोगो! अल्लाह तआला की बन्दगी करो, उस के सिवा तुम्हारा कोई पूज्य नही। और नाप और तौल में कमी न करो। ◆◇◆

इस्लाम के कानूने तलाक़ पर तन्क़ीद नावाकिफीयत की दलील

—हज़रत मौलाना सय्यिद मुहम्मद राबे हसनी नदवी

मुस्लिम प्रसनल ला बोर्ड की मजलिसे आमिला की मीटिंग में मुतअद्दिद निकात पर ग़ौर व ख़ौज़

दारुल उलूम नदवतुल उलमा में 15,16 अप्रैल 2017 को आल इण्डिया मुस्लिम प्रसनल ला बोर्ड की मजलिसे आमिला (कार्यकारिणी समिति) की मीटिंग की सदारत कर रहे बोर्ड के सद्र (अध्यक्ष) मौलाना सय्यिद मुहम्मद राबे हसनी नदवी ने कहा कि हमें अपने मुल्क में मुस्लिम प्रसनल ला पर अमल करने का पूरा हक़ और इख्तियार हासिल है और हम सब की जिम्मेदारी है कि मुस्लिम प्रसनल ला की हिफाजत करें और उस का सबसे बेहतर तरीक़ा यह है कि हम खुद अपनी इन्फिरादी और अवामी जिन्दगी में उस पर मुकम्मल तौर पर अमल करें उन्होंने कहा कि बोर्ड का बुन्यादी मक्सद (मौलिक उद्देश्य) तमाम मसालिक (इस्लामिक पंथों) का इत्तिहाद और तहफ्फुज़े शरीअत है।

इस्लामी शरीअत के सिलसिले में और खास तौर से कानूने तलाक़ के सिलसिले में बड़े पैमाने पर गलतफहमियां (भ्रांतियां) पाई जाती हैं जिनको बोर्ड के जिम्मेदार लोग दूर करने की हर मुम्मिकन कोशिश कर रहे हैं, सद्रे बोर्ड ने कहा कि हमारी शरीअत ने मुस्लिम खवातीन (महिलाओं) को वह हुकूक दिए हैं जो किसी दूसरे मजहब ने नहीं दिए, उन हुकूक से खवातीन को वाकिफ कराना और उन को वह हुकूक दिलाना हम सब की जिम्मेदारी है, उन्होंने कहा कि इस्लाम के मजहबी क़वानीन को यह खुसूसी अहमियत (विशेष महत्व) हासिल है कि वह आसमानी किताब कुर्आन मजीद और आखरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मिलने वाली "वही" (ईशवाणी) के जरीए मुकर्रर करदा और अबदी (स्थायी) हैं लिहाजा इस में किसी तरह की तबदीली या मन्सूखी (निरस्तीकरण) मुम्किन नहीं है।

मौलाना नदवी ने कहा कि तलाक़ के मसअले में जो एतिराजात बाज लोगों की तरफ से जाहिर किए जा रहे हैं उस में खासा दखल निकाह और तलाक़ के मसअले को सही तौर पर न समझने का है, तलाक़ जाहिर में सख़्ती का अमल समझा गया है लेकिन वह सख्त खतरे से बचाने के लिए बतौरे जरूरत रखी गई है, जहां तक औरत को मर्द से कम तर समझने का इलज़ाम है वह हकीकत से नावाकफीयत के सबब है, वरना निकाह व तलाक़ व मीरास में औरतों के लिए फाइदे की सूरतें मर्दों से ज़ियादा हैं।

सद्रे बोर्ड ने कहा कि मुसलमानों को जब अपने इस्लामी अकदार (मान्यतायें) और अहकाम दूसरों पर जबरन आइद करने की इजाज़त नहीं है तो इस्लाम को भी यह पूरा हक़ हासलि होना बिल्कुल बजा है कि उस के मानने

वालों पर दूसरे मजहबी अकदार (मान्यताएं) थोपे न जाएं और न उन को मजहबी अहकाम पर अमल से रोका जाए, सेकुलर दस्तूर की हुकूमत में उनको यह हक हासिल है कि वह अपने आइली कवानीन पर अमल करें।

बोर्ड के जनरल सेक्रेट्री मौलाना सय्यिद मुहम्मद वली रहमानी ने कहा कि बोर्ड तहफ्फुजे शरीअत के अपने बुन्यादी मक़्सद पर पूरी जिम्मेदारी और ताक़त व कूवत के साथ काम कर रहा है जो कि खुश आइन्द है।

खवातीन विंग की जिम्मेदार डॉक्टर अस्मा जुहरा ने कहा कि खवातीन विंग के तहत मुस्लिम औरतों की कान्फ्रेंसें और सेमीनार बड़े पैमाने पर मुल्क के मुखतलिफ बड़े शहरों और हिस्सों में खास तौर से देहली, मुम्बई, बैंगलूर, जयपुर, हैद्राबाद, लखनऊ तथा झारखण्ड और बिहार के प्रांतों में हुए जिन में लाखों की तादाद में खवातीन (महिलाओं) ने मुस्लिम प्रसनल ला से अपनी अक़ीदत का इजहार करते हुए इस बात को वाजेह किया कि शरीअते इस्लामी ने उन को जो हुकूक दिए हैं उन से वह पूरी तरह मुतमइन और खुश हैं और उन को किसी किस्म की तब्दीली क़ाबिले क़बूल नहीं है।

मीटिंग में मौलान सय्यिद अरशद मदनी, मौलाना जलालुद्दीन उमरी, मौलाना कल्बे सादिक़, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना फजलुर्रहीम मुजद्दिदी, मौलाना खलीलुर्रहमान, सज्जाद नोमानी, जफरयाब जीलानी एडवोकेट, अब्दुल क़दीर एडवोकेट, बैरिस्टर असदुद्दीन उवैसी, मौलाना अ़तीक़ अहमद बस्तवी, मौलाना यासीन अली उस्मानी, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, मौलाना अतहर अली, मौलाना अब्दुल वहाब खिल्जी, कमाल फारूक़ी, आ़रिफ मसऊद, मम्दूहा माजिद, डॉक्टर अस्मा जुहरा और मुहतरमा सबीहा सिद्दीक़ी ने भी अपने अपने खयालात का इजहार किया।

❖❖❖

मित्रता तथा शत्रुता.....

"हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ि0 नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नक़्ल करते हैं कि आप ने फरमाया, अनुवादः "निसन्देह सबसे अधिक अपनी संगत और अपने धन से मुझ पर उपकार करने वाले अबू बक्र हैं, अगर मैं अल्लाह के अतिरिक्त किसी को ख़लील (सच्चा मित्र) बनाता तो अबू बक्र को बनाता परन्तु उन से इस्लामिक भाई चारा तथा महब्बत (प्रेम) है, मेरी मस्जिद में अबू बक्र की खिड़की के अतिरिक्त किसी और की खिड़की खुली न रहे"।

(बुखारी व मुस्लिम)

तिर्मिज़ी में यह शब्द अधिक हैं "हर एक के एहसान का बदला हम ने चुका दिया है सिवाय अबू बक्र के उन के एहसानों का बदला कियामत के दिन अल्लाह तआ़ला देंगे"।

❖❖❖

सद्व्यवहार

हम हैं मुस्लिम पूरे पूरे इसी में है अपना उद्धार
आतंक और उत्पात से घृणा का हम रखते हैं आचार
अम्न-शान्ति के हम वाहक, अम्न शान्ति के प्रचारक
नियम देश के नियम हैं अपने चाहे जो भी हो सरकार
मानवता की अवषधि ले कर हर मानव तक जायेंगे
मानवता की अवषधि ही से मानव का होगा उपचार
एकेश्वर ही पूज्य है अपना उसके अतिरिक्त पूज्य नहीं
हम उस को हैं अल्लाह कहते वही तो है जग का करतार
नबी मुहम्मद को है उसने अन्तिम नबी बना कर भेजा
रब की कृपा उन पर हरदम शिक्षाएं उनकी उपकार
हिन्द हमारा देश बड़ा है इस में तो हैं धर्म अनेक
धर्म वैमनस्य नहीं यहां है अपितु यहां है सद्व्यवहार
विनय हैं करते रब से अपने जो जग का निर्माता है
सुख का जीवन पाए मानव, हर जीव पाये मानव प्यार

उर्दू सीखये

—इदारा

हिन्दी जुम्लों की मदद से उर्दू जुम्ले पढ़ये।

रमज़ान के रोज़े हर आ़क़िल, बालिग़ मुसलमान पर फर्ज़ हैं

رمضان کے روزے ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہیں۔

रोज़ेदार सुब्हे सादिक़ से सूरज गुरूब होने से पहले तक कुछ खा पी नहीं सकता

روزہ دار صبح صادق سے سورج غروب ہونے سے پہلے تک کچھ کھا پی نہیں سکتا۔

रोज़ेदार रोज़े की हालत में बीड़ी, सिगरेट और हुक्क़ा भी नहीं पी सकता

روزہ دار روزہ کی حالت میں بیڑی، سگریٹ اور حقّہ بھی نہیں پی سکتا۔

रोज़ेदार पान तम्बाकू भी मुंह में नहीं रख सकता

روزہ دار پان تمبا کو بھی منھ میں نہیں رکھ سکتا۔

रोज़ेदार किसी से नाहक़ जंग व जिदाल नहीं करता है

روزہ دار کسی سے ناحق جنگ وجدال نہیں کرتا ہے۔

रोज़ेदार गाली गलोज और तमाम बुरे कामों से दूर रहता है

روزہ دار گالی گلوج اور تمام برے کاموں سے دور رہتا ہے۔

रोज़ेदार हर वक़्त अल्लाह की याद में रहता है

روزہ دار ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہے۔

रोज़ेदार ग़ीबत और बद गोई से परहेज़ करता है

روزہ دار غیبت اور بدگوئی سے پرہیز کرتا ہے۔

कठिन शब्दों के अर्थ:

आ़क़िल=बुद्धि रखने वाला, बालिग़=व्यस्क, सुब्हे सादिक़=प्रत्यूष, गुरूब होना= डूबना, जंग व जिदाल=लड़ाई झगड़ा, नाहक़=अकारण, परहेज़ करता है=बचता है, ग़ीबत=पीठ पीछे बुराई करना, बद गोई=बुराई करना।